भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन

पर

राष्ट्रीय नीति

2009

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन
पर
राष्ट्रीय नीति
2009

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन
पर
राष्ट्रीय नीति
2009

दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय–वस्तु

1		प्रस्तावना	1
	1.1.1	संदर्भ	1
	1.2.1–1.2.2	भारत में आपदा जोखिम	1
	1.3.1	आपदा प्रबंधन के प्रति सोच में संपूर्ण परिवर्तन	1
2		दृष्टिकोण और उद्देश्य	7
	2.1.1	विजन	7
	2.2.1–2.2.2	आपदा प्रबंधन	7
	2.3.1	दृष्टिकोण	8
	2.4.1	उद्देश्य	8
3		संस्थागत और विधिक प्रबंध	9
	3.1.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	9
		आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचा	9
	3.2.1–3.2.3	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए)	9
	3.2.4–3.2.5	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी)	10
	3.2.6–3.2.7	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए)	10
	3.2.8	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)	10
	3.2.9	स्थानीय प्राधिकरण	10
	3.2.10	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)	11
	3.2.11	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)	11
	3.2.12	प्रशमन रिजर्व	11
		मौजूदा संस्थागत प्रबंध	11
	3.3.1	प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएमएनसी) तथा सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस)	11
	3.3.2	उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी)	12
	3.3.3	केंद्र सरकार	12
	3.3.4	केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की भूमिका	12
	3.3.5	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन सी एम सी)	12
	3.3.6–3.3.7	राज्य सरकारें	13

	3.3.8	जिला प्रशासन	13
	3.3.9	एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन	13
		अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत प्रबंधन	13
	3.4.1	सशस्त्र बल	13
	3.4.2	केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल	14
	3.4.3	राज्य पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं	14
	3.4.4	नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स	14
	3.4.5	राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस डी आर एफ)	14
	3.4.6	नैशनल केडिट कॉर्पस् (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरु युवा केंद्र संगठन (एन वाई के एस) की भूमिका	14
	3.5.1	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	14
4		वित्तीय प्रबंध	15
	4.1.1	केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियां	15
	4.2.1	राज्य तथा जिला स्तरीय प्रबंध	15
	4.3.1–4.3.2	राष्ट्र आपदा कार्रवाई तथा उपशमन निधियां	15
	4.4.1	केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियां	15
	4.4.2	राज्य तथा जिला स्तरीय प्रबंध	15
	4.4.3	उपशमन परियोजनाएं	15
	4.5.1	तकनीकी–वित्तीय शासन–प्रणाली	16
5		आपदा निवारण, उपशमन तथा तैयारी	17
	5.1.1	आपदा निवारण तथा उपशमन/प्रशमन	17
	5.1.2–5.1.3	जोखिम मूल्यांकन तथा सुभेद्यता का मान–चित्रण	17
	5.1.4	शहरी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती प्रवृति	18
	5.1.5	महत्वपूर्ण अवसंरचना	18
	5.1.6	पर्यावणिक रूप से सतत् विकास	18
		जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन	18
5.1.7		तैयारी	18
	5.2.1–5.2.3	केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों की भूमिका	18
	5.2.4	पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियां	19
	5.2.5–5.2.6	संप्रेषन तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)	19
	5.2.7	आपातकालीन प्रचालन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	19
	5.2.8–5.2.9	चिकित्सा संबंधी तैयारी तथा व्यापक हताहत प्रबंधन	20
	5.2.10	प्रशिक्षण, अनुकरण एवं नकली अभ्यास	20

		प्रशमन एवं तैयारी हेतु साझेदारी	20
	5.3.1–5.3.2	समुदाय आधारित आपदा तैयारी	20
	5.3.3	पणधारकों की भागीदारी	20
	5.3.4	नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी)	21
	5.3.5	मीडिया भागीदारी	21
6		तकनीकी विदिक व्यवस्था	23
	6.1.1	तकनीकी विधिक व्यवस्था	23
	6.2.1	नगर विनियामकों की पुनरीक्षा	23
	6.3.1	भूमि उपयोग योजना	23
	6.4.1–6.4.2	सुरक्षित निर्माण रीतियां	23
	6.5.1	अनुपालन व्यवस्था	24
	6.6.1	प्रवर्तन	24
7		प्रतिक्रिया	25
	7.1.1	दृष्टिकोण	25
	7.2.1	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) की भूमिका	25
	7.3.1	नोडल तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिका	25
	7.4.1	राज्य, जिला एवं स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका	25
	7.5.1	मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियां (एस ओ पी)	25
	7.6.1	आपदाओं का स्तर	26
	7.7.1	घटना नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस)	26
	7.8.1	प्रथम तथा अन्य मुख्य प्रतिक्रियाकारी/कार्रवाईकर्ता	26
	7.9.1	चिकित्सा कार्रवाई	26
	7.10.1	पशु देखभाल	27
	7.11.1	सूचना तथा मीडिया भागीदारी	27
8		राहत एवं पुनर्वास	29
	8.1.1	दृष्टिकोण	29
	8.2.1–8.2.2	अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना	29
	8.3.1	राहत आपूर्ति का प्रबंधन	29
	8.4.1	राहत के मानकों की समीक्षा	29
	8.5.1	अस्थाई जीविका विकल्प तथा सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास	29
	8.6.1	मध्यम आश्रय–गृहों की व्यवस्था	30

9		पुनःनिर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली	31
	9.1.1	दृष्टिकोण	31
	9.2.1	स्वामित्व आधारित पुनःनिर्माण	31
	9.3.1–9.3.2	त्वरित पुनःनिर्माण	31
	9.4.1	सामान्य स्थिति की बहाली के साथ सुरक्षित विकास को जोड़ना	31
	9.5.1	जीवन–यापन को पुनःबहाल करना	32
10		क्षमता निर्माण	33
	10.1.1–10.1.2	दृष्टिकोण	33
	10.2.1–10.2.2	राष्ट्रीय प्राथमिकताएं	33
	10.3.1	संस्थागत क्षमता निर्माण	33
	10.4.1	समुदायों का प्रशिक्षण	34
	10.5.1	पेशेवर तकनीकी शिक्षा	34
	10.6.1	स्कूलों में आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा	34
	10.7.1	कारीगरों को प्रशिक्षण	34
	10.8.1	अन्य समूहों का प्रशिक्षण	34
	10.9.1	लाइसेंस देना तथा प्रमाणीकरण	34
11		ज्ञान प्रबंधन	35
	11.1.1	दृष्टिकोण	35
	11.2.1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहक्रियात्मक प्रयोग	35
	11.3.1	ज्ञान संस्थान	35
		सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के जरिए ज्ञान का प्रचार प्रसार	35
	11.4.1	स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (आई टी के)	35
	11.5.1	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन)	35
	11.6.1	भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (आई डी के एन)	35
	11.7.1	सर्वश्रेष्ट पद्धतियों तथा अनुसंधान का प्रलेखन	36
12		अनुसंधान एवं विकास	37
	12.1.1	दृष्टिकोण	37
	12.2.1	संस्थागत व्यवस्था	37
	12.3.1–12.3.2	अनुसंधान की आवश्यकताओं की पहचान तथा उनका प्रोत्साहन	37
13		आगे का रास्ता	39
		संशिप्ति	41

चित्र

चित्र	1	आपदा प्रबंधन की सतत प्रक्रिया	8

मानचित्र

मानचित्र	1	भारत में भूकंप क्षेत्र	3
मानचित्र	2	भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र	4
मानचित्र	3	भारत में चक्रवात क्षेत्र और तूफ़ान क्षेत्र	5
मानचित्र	4	भूस्खलन से प्रभावित राज्य	6

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

1. प्रस्तावना

संदर्भ

1.1.1 आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधी प्रयासों के फल को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती हैं। अत: हाल के समय में भारत में और विदेशों में आपदाओं के घटित होने पर ही कार्रवाई करने की बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। इसका कारण आपदाओं की बारम्बारता में वृद्धि और तीव्रता की बात को इसी प्रकार स्वीकार करना है क्योंकि अब यह मान लिया गया है कि जिम्मेदार और सिविल समाज में सुशासन के लिए आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से प्रभावी रूप से निपटने की आवश्यकता है।

भारत में आपदा जोखिम

1.2.1 भारत में अलग-अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मानव-जन्य आपदाएं आती रहती हैं। लगभग 58.6 प्रतिशत भू-भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है; 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ़ और नदी अपरदन संभावित है; 7,516 कि.मी. तटीय क्षेत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. क्षेत्र चक्रवात और सुनामी संभावित है; 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित है और पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन और हिम-स्खलन की जोखिम बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकिरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण, उच्च-जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है (मानचित्र ।-4)।

1.2.2 आपदाओं के प्रति मानवीय सुभेद्यता के संदर्भ में समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। संवेदनशील समूहों में वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों- विशेष रूप से आपदाओं के कारण निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों तथा विभिन्न क्षमताओं के व्यक्तियों को अधिक खतरा होता है।

आपदा प्रबंधन के प्रति सोच में सम्पूर्ण परिवर्तन

1.3.1 23 दिसम्बर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी डी एम ए) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबंधी लाभों को बनाए रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए राहत-केन्द्रित कार्रवाई के पहले के दृष्टिकोण के स्थान पर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

मानचित्र 1
भारत में भूकंप क्षेत्र

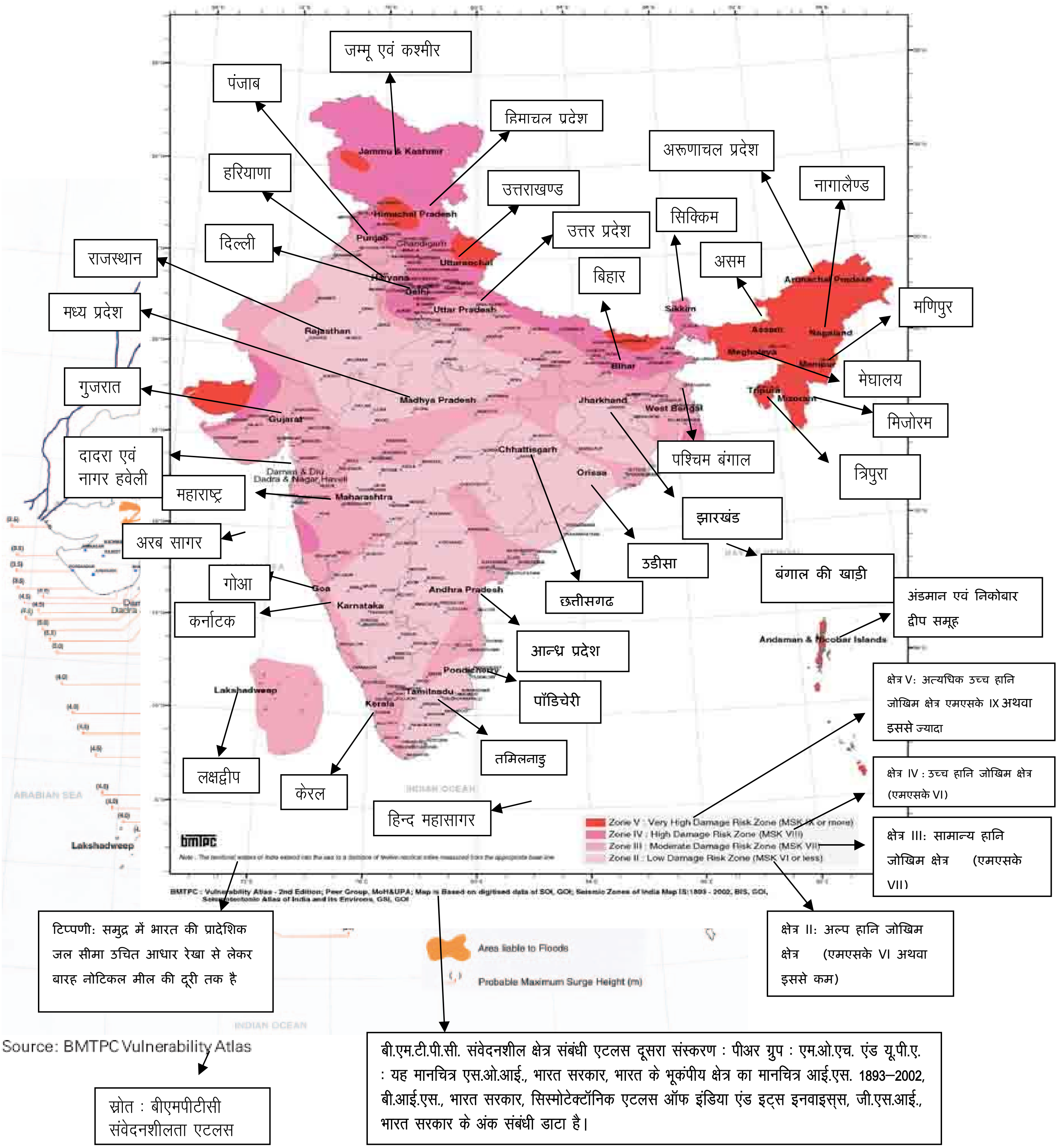

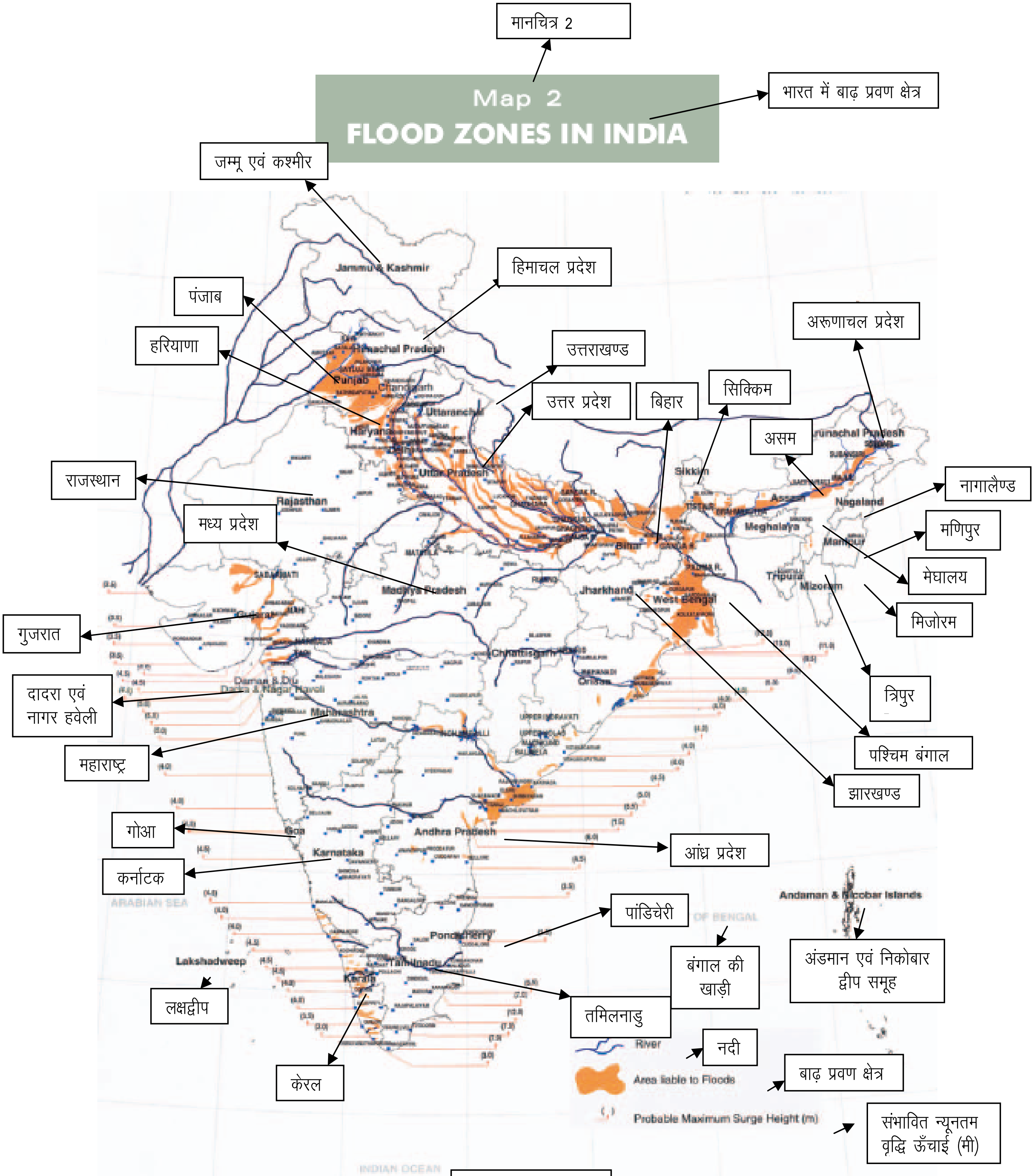

Source: BMTPC Vulnerability Atlas

स्रोत : बीएमपीटीसी संवेदनशीलता एटलस

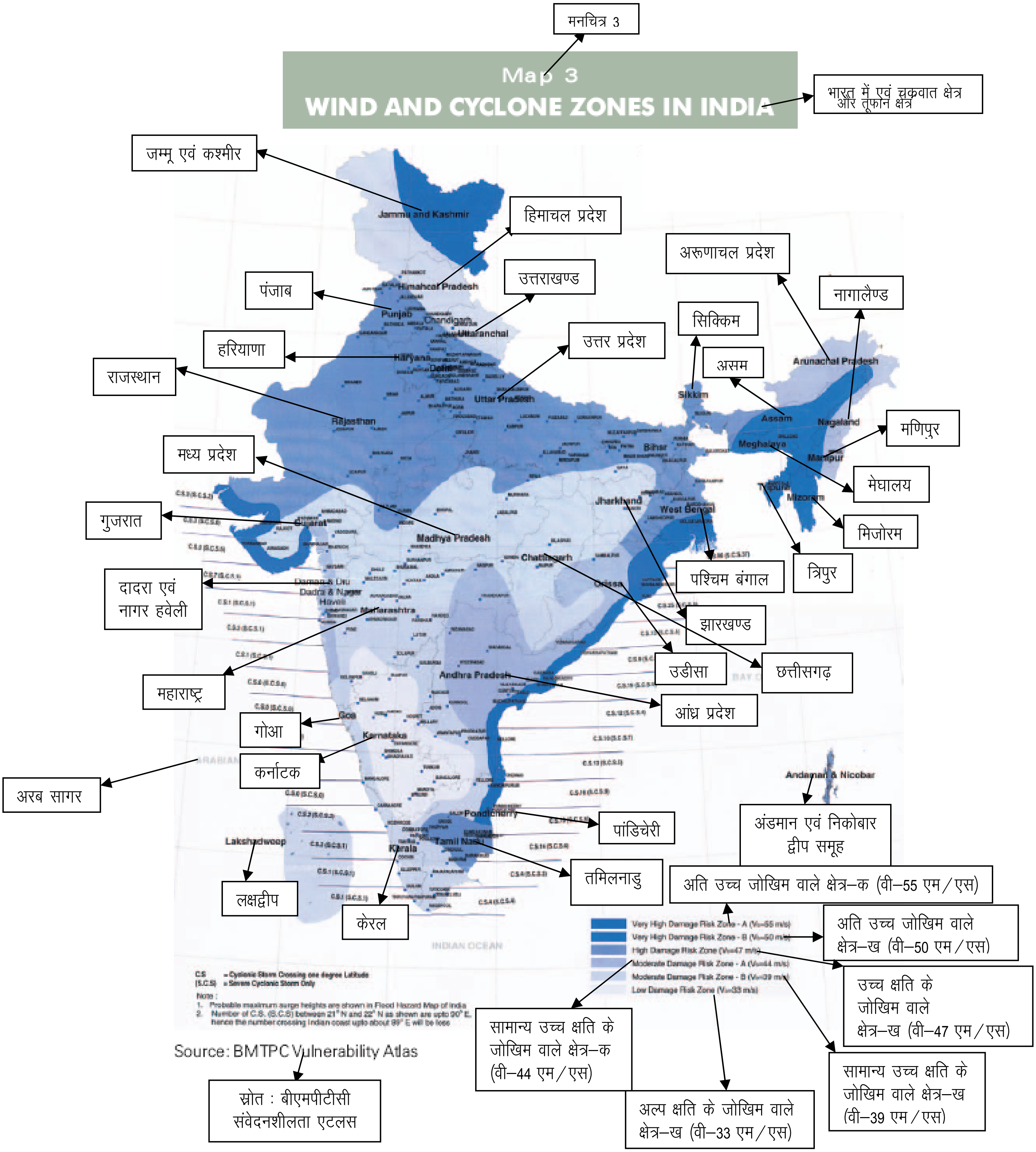
मनचित्र 3
Map 3
WIND AND CYCLONE ZONES IN INDIA
भारत में एवं चक्रवात क्षेत्र और तूफान क्षेत्र
जम्मू एवं कश्मीर
Jammu and Kashmir
हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh
पंजाब
Punjab
Chandigarh
उत्तराखण्ड
Uttaranchal
हरियाणा
Haryana
Delhi
राजस्थान
Rajasthan
उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh
अरूणाचल प्रदेश
Arunachal Pradesh
नागालैण्ड
Nagaland
सिक्किम
Sikkim
असम
Assam
मणिपुर
Manipur
मेघालय
Meghalaya
मिजोरम
Mizoram
त्रिपुर
Tripura
Bihar
मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh
गुजरात
Gujarat
दादरा एवं नागर हवेली
Daman & Diu
Dadra & Nagar Haveli
Jharkhand
West Bengal
पश्चिम बंगाल
Chhattisgarh
Orissa
झारखण्ड
उडीसा
छत्तीसगढ़
Maharashtra
महाराष्ट्र
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश
Goa
गोआ
Karnataka
कर्नाटक
अरब सागर
ARABIAN
Andaman & Nicobar
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
Pondicherry
पांडिचेरी
Tamil Nadu
तमिलनाडु
Lakshadweep
लक्षद्वीप
Kerala
केरल
INDIAN OCEAN
अति उच्च जोखिम वाले क्षेत्र–क (वी–55 एम/एस)
Very High Damage Risk Zone - A (Vb=55 m/s)
Very High Damage Risk Zone - B (Vb=50 m/s)
High Damage Risk Zone (Vb=47 m/s)
Moderate Damage Risk Zone - A (Vb=44 m/s)
Moderate Damage Risk Zone - B (Vb=39 m/s)
Low Damage Risk Zone (Vb=33 m/s)
अति उच्च जोखिम वाले क्षेत्र–ख (वी–50 एम/एस)
उच्च क्षति के जोखिम वाले क्षेत्र–ख (वी–47 एम/एस)
सामान्य उच्च क्षति के जोखिम वाले क्षेत्र–क (वी–44 एम/एस)
अल्प क्षति के जोखिम वाले क्षेत्र–ख (वी–33 एम/एस)
सामान्य उच्च क्षति के जोखिम वाले क्षेत्र–ख (वी–39 एम/एस)
C.S. = Cyclonic Storm Crossing one degree Latitude
(S.C.S) = Severe Cyclonic Storm Only
Source: BMTPC Vulnerability Atlas
स्रोत : बीएमपीटीसी संवेदनशीलता एटलस

मानचित्र 4

MAP 4

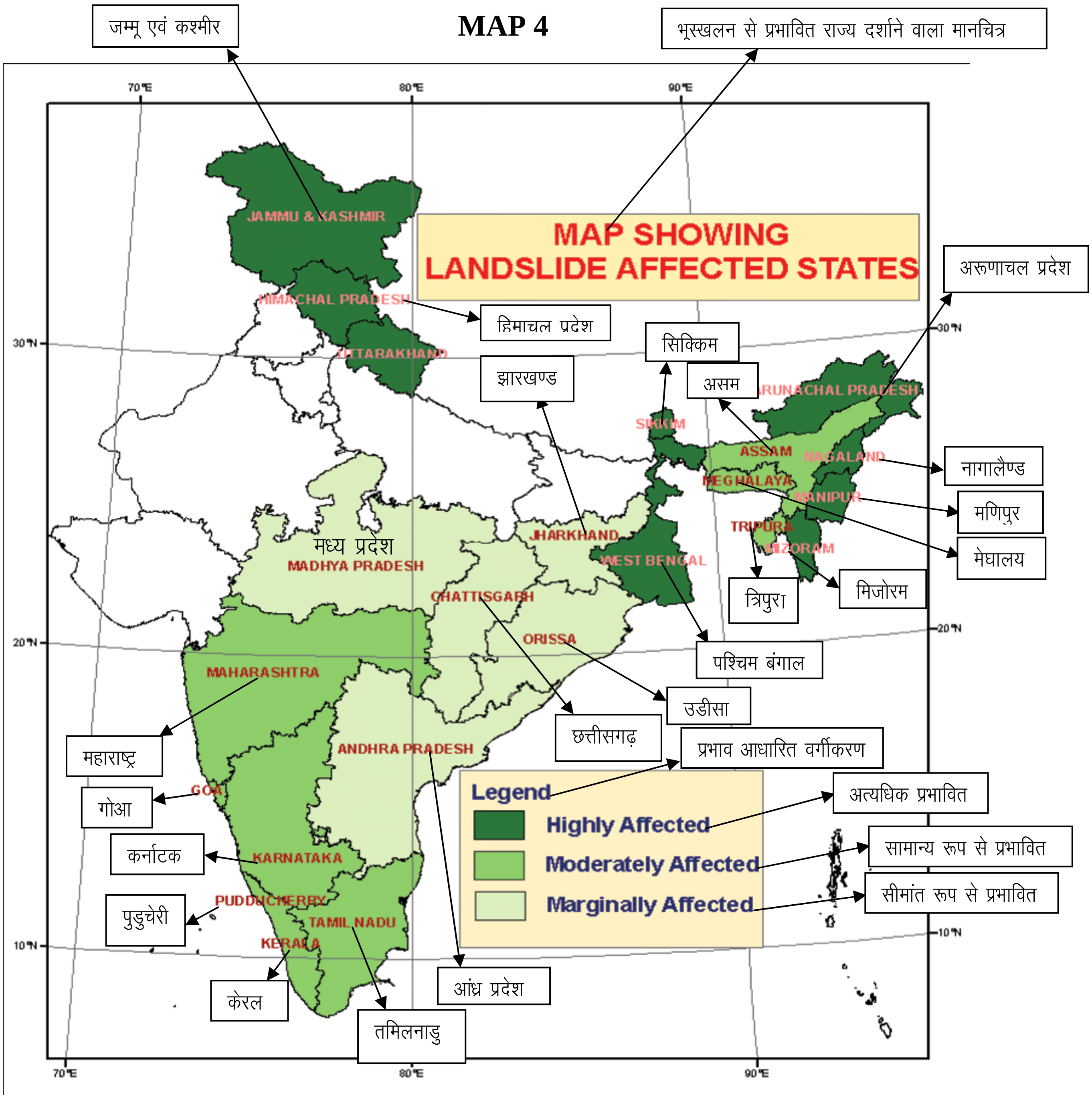
जम्मू एवं कश्मीर
भूस्खलन से प्रभावित राज्य दर्शाने वाला मानचित्र
MAP SHOWING
LANDSLIDE AFFECTED STATES
JAMMU & KASHMIR
HIMACHAL PRADESH
हिमाचल प्रदेश
UTTARAKHAND
अरूणाचल प्रदेश
ARUNACHAL PRADESH
सिक्किम
SIKKIM
असम
ASSAM
झारखण्ड
JHARKHAND
NAGALAND
नागालैण्ड
MEGHALAYA
MANIPUR
मणिपुर
मेघालय
TRIPURA
MIZORAM
त्रिपुरा
मिजोरम
मध्य प्रदेश
MADHYA PRADESH
WEST BENGAL
पश्चिम बंगाल
CHATTISGARH
ORISSA
उडीसा
MAHARASHTRA
छत्तीसगढ़
महाराष्ट्र
प्रभाव आधारित वर्गीकरण
ANDHRA PRADESH
GOA
गोआ
Legend
Highly Affected
अत्यधिक प्रभावित
Moderately Affected
सामान्य रूप से प्रभावित
Marginally Affected
सीमांत रूप से प्रभावित
कर्नाटक
KARNATAKA
PUDDUCHERRY
पुडुचेरी
TAMIL NADU
KERALA
केरल
आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु
70°E
80°E
90°E
30°N
20°N
10°N

2. दृष्टिकोण और उद्देश्य

विज़न

2.1.1 निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुखी और तकनीकी आधारित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना।

आपदा प्रबंधन

2.2.1 आपदा[1] से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानव-जन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन योजना, संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है :

- किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम।
- किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण।
- अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण।
- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी।
- किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई।
- किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन।
- फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत।
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

2.2.2 आपदा प्रबंधन की विशिष्ट सतत प्रक्रिया में छः तत्व शामिल हैं; आपदा-पूर्व चरण में रोकथाम, प्रशमन और तैयारी शामिल है जबकि आपदा-उपरांत चरण में कार्रवाई,

पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली शामिल है। इन सभी तत्त्वों को एक विधिक और संस्थागत ढांचे में एक साथ पिरोया गया है (चित्र 1)।

चित्र 1

आपदा प्रबंधन की सतत प्रक्रिया

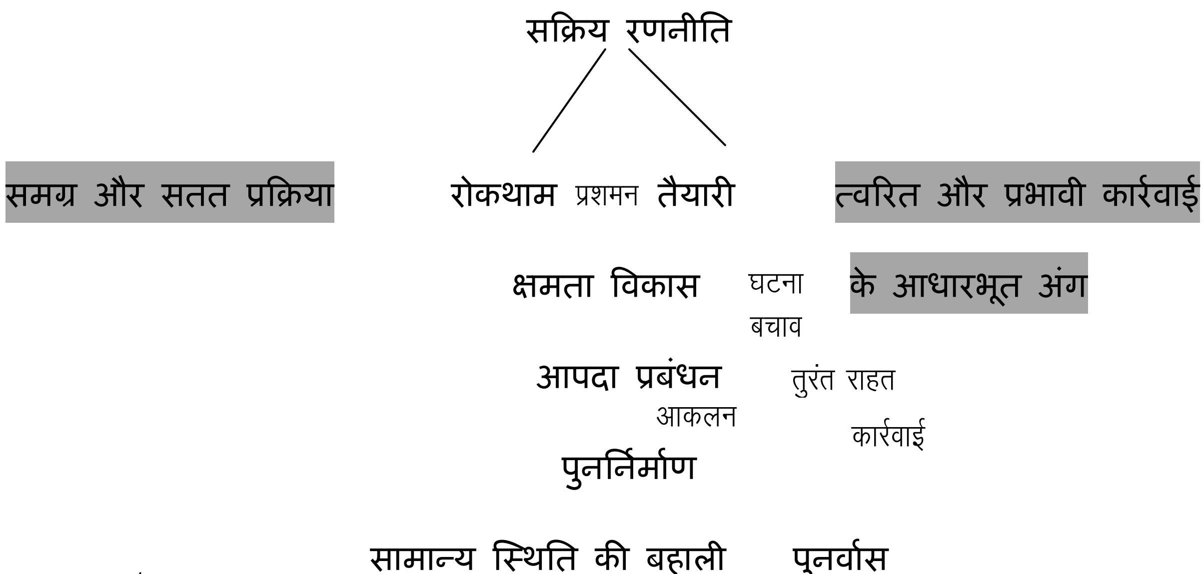

[1] स्रोत : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (घ) तथा (ड.)।

दृष्टिकोण

2.3.1 विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक भागीदारियां बनाने पर जोर देते हुए आपदा प्रबंधन के प्रति एक **समग्र** और **एकीकृत** दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। इस नीति के आधारभूत विषय निम्नलिखित हैं :

- नीति, योजनाओं और निष्पादन के पूर्ण एकीकरण सहित समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।
- सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।
- पिछली पहलों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का समेकन।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर एजेंसियों के साथ सहयोग।
- बहु-क्षेत्र-सह-क्रियाशीलता।

उद्देश्य

2.4.1 आपदा प्रबंधन विषयक राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी, पारम्परिक ज्ञान और पर्यावरण की निरन्तरता पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
- आपदा प्रबंधन को विकास योजना प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना।
- समर्थकारी नियामक वातावरण और सहमति प्रणाली तैयार करने के लिए संस्थागत और तकनीकी-विधिक ढांचे स्थापित करना।
- आपदा जोखिमों के निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना। त्र
- सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रतिक्रियाशील और अचूक सम्प्रेषण पर आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।
- जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के साथ लाभकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा क्षमता विकास में योगदान देना।
- समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदाराना दृष्टिकोण के साथ प्रभावी कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।
- अधिक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी ढांचे और निवासों का निर्माण करने के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करना।
- आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ लाभकारी और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

3. संस्थागत और विधिक प्रबंध

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

3.1.1 इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए)

3.2.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी-अपनी आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करेगा। यह अन्य ऐसे उपाय करेगा जो यह खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए आपदाओं के निवारण अथवा प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक समझे। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इसके अधिदेश को पूरा करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी। यह प्रशमन और तैयारी के उपायों के लिए निधियों के प्रावधान और उपयोग की निगरानी करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा के समय बचाव और राहत हेतु प्रावधानों अथवा सामग्रियों का आपात प्रापण करने के लिए संबंधित विभागों अथवा प्राधिकारियों को प्राधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का सामान्य अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित हैं तथा इनका

प्रयोग उसी के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के दायरे के भीतर कार्य करता है।

3.2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जन्य आपदाओं से निपटने के लिए अधिदेशित है, जबकि आतंकवाद (विद्रोह-रोधी), कानून और व्यवस्था की स्थिति, श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, विमान अपहरण, हवाई दुर्घटनाओं, रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) हथियार प्रणालियों, खान आपदाओं, पत्तन और बंदरगाह पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों, वन आग, तेल क्षेत्र में लगी आग तथा तेल फैलने जैसी स्थितियों, जिनमें सुरक्षा बलों और /अथवा आसूचना एजेंसियों की गहन भागीदारी अपेक्षित होती है, सहित ऐसी अन्य आपात स्थितियों से मौजूदा तंत्र, अर्थात राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा निपटा जाना जारी रहेगा।

3.2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रशिक्षण तथा तैयारी गतिविधियों को सुगम बनाएगा। प्राकृतिक और मानव जन्य आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, साइको-सोशल केयर एण्ड ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जागरूकता सृजन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित पणधारियों का ध्यान जाएगा। सभी स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जो आपात स्थिति में सहयोगात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, के पास उपलब्ध संसाधन आसन्न आपदाओं/आपदाओं के समय आपात स्थितियों से निपटने वाले नोडल मंत्रालयों/एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी)

3.2.4 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं तथा इसमें कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा चीफ ऑफ द इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टॉफ

ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी सदस्यों के रूप में शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे।

3.2.5 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति है तथा यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में उसकी सहायता करती है और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, खतरनाक आपदा की कोई स्थिति पैदा होने अथवा आपदा आने पर कार्रवाई का समन्वय करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए)

3.2.6 राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिए प्रावधान की सिफारिश करेगा और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

3.2.7 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए राज्य सरकार एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन करेगी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे और यह राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करेगी। राज्य कार्यकारी समिति

आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना भी उपलब्ध कराएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

3.2.8 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलैक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह-अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

स्थानीय प्राधिकरण

3.2.9 इस नीति के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकरण पंयायती राज संस्थाओं (पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती हैं। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)

3.2.10अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के प्रलेखन और विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। यह अन्य ज्ञान-आधारित संस्थाओं के साथ सम्पर्क करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के भीतर कार्य करेगा। यह प्रशिक्षकों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण आयोजित करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 'उत्कृष्ट केन्द्र' के रूप में उभरने का प्रयास करेगा।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)

3.2.11 किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक, जैविक, विकिरण संबंधी एवं परमाणु की शुरूआत जैसी प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं/संकटों में विशिष्ट कार्रवाई करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के गठन का अधिदेश दिया गया है। इस बल का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण एन डी एम ए में निहित होगा तथा इसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इस बल की कमांड तथा पर्यवेक्षण केन्द्र सरकार द्वारा महानिदेशक, सिविल डिफेन्स तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले एक अधिकारी के अधीन होगी। इस समय, एन डी आर एफ में आठ बटालियनें शामिल हैं और यथासमय इसके विस्तार पर विचार किया जा सकता है। इन बटालियनों को यथापेक्षित विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। एन डी आर एफ की यूनिटें नामित राज्य सरकारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखेंगी और किसी गंभीर खतरे वाली आपदा की स्थिति के समय उनके लिए उपलब्ध होंगी। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं का संचालन सभी एन डी आर एफ बटालियनों के पास होगा, तथापि चार बटालियनों को रासायनिक, जैविक, विकिरण संबंधी तथा परमाणु संकटों से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए सज्जित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। संबंधित बलों की एन डी आर एफ बटालियनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आपदा कार्रवाई बलों की प्रशिक्षण संबंधी

आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। एन डी आर एफ की यूनिटें राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित स्थानों पर अभिज्ञात किए गए सभी पणधारियों को मूल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की जाएगी।

प्रशमन रिजर्व

3.2.12 पिछले दशक में प्रमुख आपदाओं के अनुभव ने कुछ अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों सहित संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक रिज़र्वों के पूर्व-संस्थापन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है। ये रिज़र्व राज्य स्तर पर संसाधनों को बढ़ाने के लिए होंगें। प्रशमन रिज़र्वों को किसी आपदा अथवा आपदा जैसी स्थिति के दौरान राज्य सरकारों की सहायतार्थ, उनकी संकटकालीन कार्रवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के विवेकाधीन रखा जाएगा।

मौजूदा संस्थागत प्रबंध

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एम एन सी) तथा सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस)

3.3.1 प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं का निरीक्षण करने, जिसमें स्थिति का आकलन करना तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समझे गए उपायों एवं कार्यक्रमों की पहचान करना, इस प्रकार की आपदाओं को मॉनीटर करना तथा इनके निवारण के लिए दीर्घावधिक उपाय सुझाना तथा इनके प्रति समाज की प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना शामिल है, के लिए सी सी एम एन सी का गठन किया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस), देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों, जिनका आन्तरिक अथवा बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को देखती है।

उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी)

3.3.2 गंभीर स्वरूप की आपदाओं के मामले में, आपदा के कारण हुए नुकसान तथा अपेक्षित राहत सहायता की राशि के आकलन के लिए अन्तर-मंत्रालयी दलों को प्रभावित राज्यों में भेजा जाता है। केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी दल, केन्द्रीय दलों द्वारा किए गए मूल्यांकन की संवीक्षा करता है तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा की सिफारिश करता है। तथापि, सूखा, ओला-वृष्टि तथा कीटों के हमले के संबंध में अन्तर-मंत्रालयी दल द्वारा क्षति का मूल्यांकन सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में ही किया जाता रहेगा। अन्तर-मंत्रालयी दल की सिफारिशों के आधार पर प्रभावित राज्यों को प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री तथा सदस्यों के रूप में गृह मंत्री, कृषि मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन एवं संयोजन समय-समय पर भिन्न–भिन्न हो सकता है। एन डी एम ए के उपाध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति में विशेष अतिथि होंगे।

केन्द्र सरकार

3.3.3 इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो यह आपदा प्रबंधन के प्रयोजनार्थ, आवश्यक अथवा उचित समझती है तथा सभी एजेंसियों के कार्यों में समन्वय करेगी। केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग, विभिन्न आपदा-पूर्व आवश्यकताओं तथा आपदा के निवारण और प्रशमन के लिए उपायों पर निर्णय लेते समय, राज्य सरकार के विभागों की सिफारिशों को ध्यान में रखेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपनी विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और प्रशमन के लिए उपायों का समेकन करते हैं, आपदा पूर्व की आवश्यकताओं हेतु निधियों का समुचित आबंटन करते हैं तथा किसी आपदा की स्थिति अथवा आपदा की तैयारी एवं इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं। आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने अथवा इसमें सहायता करने के लिए, एन इ सी, राज्य सरकारों/एस डी एम ए एस, एस इ सी एस अथवा इनके किसी अधिकारी या कर्मचारी को निर्देश जारी करने की शक्ति इसके पास होगी और ये निकाय एवं अधिकारी इन निर्देशों का पालन करने के लिए

बाध्य होंगे। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनके द्वारा यथापेक्षित अथवा अन्यथा इसके द्वारा उचित समझी गई सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। यह आपदा प्रबंधन के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती के उपाय करेगी। केन्द्र सरकार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सरकारों के साथ समन्वय को सुकर बनाएगी। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर विदेशी समन्वय/सहयोग को सुकर बनाएगा।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की भूमिका

3.3.4 चूंकि आपदा प्रबंधन एक बहु-आयामी प्रक्रिया है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की मुख्य भूमिका होगी। भारत सरकार के नोडल मंत्रालय और विभाग (अर्थात् कृषि, परमाणु ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, भू-विज्ञान, पर्यावरण एवं वन, गृह, स्वास्थ्य, खान, रेल, अंतरिक्ष, जल संसाधन मंत्रालय आदि) उन्हें सौंपा गया विशिष्ट आपदाओं के निराकरण से संबंधित कार्य करते रहेंगे।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन सी एम सी)

3.3.5 एन सी एम सी, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हैं, गंभीर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर फैले प्रमुख संकटों से निपटने का काम करती रहेगी। केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों के संकट प्रबंधन दल (सी एम जी) द्वारा इसकी मदद की जाएगी और जब भी आवश्कता होगी एन इ सी इसकी सहायता करेगी। सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) इस समिति के सदस्य होंगे।

राज्य सरकारें

3.3.6 आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर बनाया गया संस्थागत तंत्र प्रभावी तरीके से आपदाओं के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करेगा।

3.3.7 यह अधिनियम राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के उपाय करने, विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण अथवा प्रशमन

के उपायों को समेकित करने, निधियों के आबंटन, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित करने, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में केन्द्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता करने का अधिदेश देता है।

जिला प्रशासन

3.3.8 जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए एस) आपदा प्रबंधन के लिए जिला आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए सभी उपाय करेंगे।

एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन

3.3.9 कई बार, एक राज्य में आने वाली आपदाओं का प्रभाव अन्य राज्यों के क्षेत्रों में भी हो जाता है। इसी तरह, बाढ़, आदि जैसी कुछ आपदाओं के संबंध में निवारक उपाय एक राज्य में किए जाने अपेक्षित होंगे, क्योंकि इनके घटित होने से इनका प्रभाव दूसरे राज्य में हो सकता है। देश का प्रशासनिक अनुक्रम (हाइऑराकी) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर के प्रशासनों में संगठित है। इससे एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के संबंध में कुछ कठिनाइयां पेश आती हैं। ऐसी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिससे सामान्य रूप से स्वयं ही सामने आने वाली घटना से पूर्व, घटना के दौरान तथा घटना के बाद के मुद्दों से बिल्कुल भिन्न कई मुद्दों से निपटा जा सकता है। एन डी एम ए ऐसी स्थितियों की पहचान करने को प्रोत्साहन देगा तथा संबंधित राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों द्वारा उनसे निपटने के लिए समन्वित रणनीतियां बनाने हेतु परस्पर सहायता करार (म्युचुअल ऐड एग्रीमेंट) की तर्ज पर तंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा।

अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत प्रबंध

सशस्त्र बल

3.4.1 संकल्पनात्मक रूप से, सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए केवल तभी बुलाया जाता है, जब स्थिति, मुकाबला करने की उनकी सामर्थ्य से परे हो जाती है। तथापि, व्यवहार में, सशस्त्र बल, सरकार की जवाबी कार्रवाई क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं तथा सभी गंभीर आपदा की स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करते हैं। किसी भी विपत्तिकारक चुनौती का सामना करने की उनकी अपार क्षमता, परिचालनात्मक कार्रवाई की गति तथा उनके विवेकाधीन संसाधनों और क्षमताओं, के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों ने आपातकालीन सहायता कार्यों में ऐतिहासिक रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। इन कार्यों में संचार, खोज एवं बचाव कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं तथा विशेषकर आपदा के तत्काल बाद लाना-ले जाना शामिल है। हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर से लाने-ले जाने तथा पड़ोसी देशों में सहायता पहुंचाने का काम प्रथमतः सशस्त्र बलों की सुविज्ञता एवं अधिकार-क्षेत्र में आता है। सशस्त्र बल विशेष रूप से सी बी आर एन पहलुओं, हेली-इन्सर्शन, अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य, वाटरमैनशिप तथा पराचिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में प्रशिक्षकों और आपदा प्रबंधन के प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहभागी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुखिया तथा स्टाफ प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष को पहले ही एन इ सी में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, राज्य तथा जिला स्तरों पर, सशस्त्र बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को उनकी कार्यकारी समितियों में शामिल किया जाए ताकि अधिक गहन समन्वयन तथा समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल

3.4.2 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, जो संघ के सशस्त्र बल भी हैं, आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई के समय मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एन डी आर एफ को सहयोग देने के अतिरिक्त, वे अपने ही बलों में पर्याप्त आपदा प्रबंधन सामर्थ्य विकसित करेंगे तथा उन क्षेत्रों, जहां वे तैनात हैं, में घटित होने वाली आपदा में प्रतिक्रिया दिखाएंगे। केन्द्रीय अर्द्ध

सैनिक बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को राज्य स्तर की कार्यकारी समिति में सहयोजित/आमंत्रित किया जाए।

राज्य पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं

3.4.3 राज्य पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करते हैं। बहु-जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्‌र्स

3.4.4 नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्‌र्स के अधिदेश को पुन: परिभाषित किया जाएगा ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसे प्रभावकारी भूमिका सौंपी जा सके। सामुदायिक तैयारी तथा जन- जागरूकता के लिए उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रूप से डयूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस डी आर एफ)

3.4.5. राज्यों को अपने मौजूदा संसाधनों में से ही कार्रवाई क्षमताओं का सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आरंभ में, प्रत्येक राज्य एक बटालियन के समान बल को सज्जित एवं प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बनाए। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की देख-रेख के लिए वे महिला सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। एन डी आर एफ की बटालियनें तथा उनके प्रशिक्षण संस्थान इस प्रयास में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करेंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पुलिस प्रशिक्षण कालेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण तथा राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए मूल एवं सेवाकालीन पाठ्‌यक्रमों को शामिल किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

नेशनल केडिट कोर्प्स (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस) की भूमिका

3.4.6 सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिए इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को इष्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण को उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

3.5.1 आपदाएं भौगोलिक सीमाओं की पहचान नहीं करतीं। बड़ी आपदाएं प्राय: एक साथ कई देशों को प्रभावित करती हैं। आपदा प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबर सहयोग एवं समन्वय विकसित करने का राष्ट्र का प्रयास होगा।

4. वित्तीय प्रबंध

दृष्टिकोण

4.1.1 राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण में बदलाव करके इसमें निवारण, तैयारी तथा उपशमन को शामिल करने के लिए सभी पणधारियों से सहयोग प्राप्त करके विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में निवारण और उपशमन उपायों को कारगर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को अंतर्निहित किया जाना

4.2.1 एन डी एम ए सभी मौजूदा एवं नए विकास कार्यक्रमों में विकास संबंधी एजेंडा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाना सुनिश्चित करेगा तथा परियोजनाओं के डिज़ाइन और निर्माण में आपदा समुत्थानशील विशिष्टताओं को शामिल किया जाएगा। संसाधनों का आबंटन करते समय योजना आयोग इन तथ्यों को उचित महत्व देगा।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई तथा उपशमन निधियां

4.3.1 इस अधिनियम में दिए गए अधिदेश के अनुसार एक राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन इ सी), एन डी एम ए के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार, आपातकालीन कार्रवाई, राहत और पुनर्वास संबंधी खर्च को वहन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि का प्रयोग करेगी। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) का राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के विलय का प्रस्ताव वही होगा जो समय-समय पर वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किया जाएगा।

4.3.2 इसी प्रकार, जैसा कि अधिनियम में अधिदेशित है, विशेष रूप से उपशमन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आपदा उपशमन निधि (एन डी एम एफ) का सृजन किया जाए। एन डी एम एफ का प्रयोग एन डी एम ए द्वारा किया जाएगा और वित्त्त आयोग द्वारा समय-समय पर संस्तुत किए गए अनुसार होगा।

केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियां

4.4.1 सभी केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे जिसमें इन योजनाओं में सहायता करने के लिए वित्तीय प्रक्षेपण शामिल हैं। पंच वार्षिक तथा वाषिक योजनाओं के हिस्से के रूप में आवश्यक बजटीय आबंटन किए जाएंगे।

राज्य तथा जिला स्तरीय प्रबंध

4.4.2 राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा उपशमन तथा कार्रवाई निधियों का गठन करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। इन निधियों के प्रयोग से संबंधित तौर-तरीके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

उपशमन परियोजनाएं

4.4.3 विभिन्न आपदाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर उपशमन परियोजनाओं के लिए योजनाओं के प्रतिपादन का आधार तैयार करेंगे। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अतिरिक्त, राज्य सरकारें कार्यान्वयन हेतु उपशमन परियोजनाओं की पहचान करेंगी। राष्ट्रीय स्तर की उपशमन परियोजनाओं को एन डी एम ए के परामर्श से उचित प्राथमिकता दी जाएगी तथा अनुमोदित किया जाएगा।

तकनीकी-वित्तीय शासन-प्रणाली

4.5.1 इस बात को स्वीकार करते हुए कि बचाव, राहत और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता, आपदाओं के कारण होने वाले व्यापक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, व्यक्तियों, समुदायों और कम्पनी क्षेत्र के ऐसे नुकसानों को कवर करने के लिए नवीन वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ विनाश जोखिम वित्तपोषण, जोखिम बीमा, विनाश बांड्स, माइक्रो-फाइनेंस तथा बीमा आदि जैसे नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में, रासायनिक दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991 के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी राहत का उल्लेख करना उपयुक्त है। आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो-फाइनेंस तथा माइक्रो-इंश्योरेंस, नव-निर्मित मकानों तथा अवसंरचनाओं की वारंटी तथा सुरक्षित

निर्माण को होम-लोन्स के साथ जोड़ने जैसी कुछ वित्तीय कवायदों को अपनाने पर विचार किया जाएगा।

5. आपदा निवारण, उपशमन तथा तैयारी

आपदा निवारण तथा उपशमन/प्रशमन

5.1.1 मानव-निर्मित आपदाओं के विपरीत, बाढ़, भूकंपों और चक्रवातों को टाला नहीं जा सकता। तथापि, जोखिम प्रवण क्षेत्र में विकास कार्य की सही आयोजना के साथ-साथ उपशमन उपायों से, इन खतरों को आपदाओं में तबदील होने से रोका जा सकता है। उपशमन उपायों को करने के लिए एक त्रि-आयामी प्रस्ताव को अपनाए जाने की आवश्यकता है :

- सभी विकास परियोजनाओं में उपशमन उपाय करना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधित विभागों तथा राज्यों की सहायता से, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, एन डी एम ए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की उपशमन परियोजनाएं शुरू करना।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय उपशमन परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा सहायता करना।
- आपदाओं के संबंध में स्वदेशी जानकारी तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए मुकाबला तंत्रों को विरासत वाली अवसंरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित महत्व दिया जाएगा।

जोखिम मूल्यांकन तथा सुभेद्यता का मानचित्रण

5.1.2 राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस (एन डी इ एम) तथा राष्ट्रीय स्थानिक डाटा अवसंरचना (एन एस डी आई) जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) पर आधारित हैं, का प्रयोग करके एक बहु-जोखिम ढांचे में अनुक्षेत्र वर्गीकरण, मानचित्रण तथा संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाएगा। आपदा की सुभेद्यताओं के निराकरण के लिए पहले कदम के रूप में, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रीय एजेंसियों, ज्ञान-आधारित संस्थाओं तथा राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को सभी आपदा प्रवण क्षेत्रों के जोखिम और सुभेद्यता का मूल्यांकन करने की जरूरत है। जी आई एस और दूर संवेदी डाटा के आधार पर खतरा अनुक्षेत्र वर्गीकरण का मानचित्रण तथा सुभेद्यता के विश्लेषण में

अनिवार्य रूप से एक मूल जांच घटक को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। रासायनिक दुर्घटना प्रवण जिलों के लिए जी आई एस प्लेटफार्म्स के आधार पर खतरा और उसके परिणाम का मानचित्रण तैयार किया गया है।

5.1.3 आपदा प्रबंधन में जी आई एस, दूर संवेदी तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) के बढ़ते प्रयोग ने, नामित इलेक्ट्रानिक निकासी-गृह के जरिए विषयक एवं स्थानिक डाटा के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य बना दिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए मूल्य-वर्द्धित मानचित्रों के एकत्रण, संकलन, विश्लेषण तथा इन्हें तैयार करने हेतु, प्राकृतिक संसाधनों तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि के प्रबंधन के लिए, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा एन एस डी आई की स्थापना की गई है। एन एस डी आई को डाटा और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी नयाचारों की अन्तरप्रचालनीयता की दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि प्रभावी नीति विश्लेषण को सुगम बनाया जा सके। आसान तथा शीघ्र आदान-प्रदान के लिए एन एस डी आई तथा इस नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता संचार तंत्र के बीच एक दो-तरफा अन्तरप्रचालनीय संपर्क स्थापित किया जाएगा। एन डी इ एम के अंतर्गत एक सुरक्षित वातावरण में स्थानिक तथा गैर-स्थानिक डाटाबेसों वाले अभिकल्पित कार्यक्रम के लिए आपदा प्रबंधन की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एन एस डी आई के जरिए डाटा सेट प्राप्त किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति

5.1.4 शहरी क्षेत्रों में आपदाएं कई तरीकों से भिन्न होती हैं और नुकसान की मात्रा प्राय: बहुत अधिक होती है, जिससे प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाओं का औचित्य सिद्ध होता है। हाल ही में, इस प्रकार की आपदाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में खोज-बीन और बचाव संबंधी प्रयासों के लिए भी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण भी अपेक्षित है। अनियोजित शहरीकरण को रोकने तथा सभी प्रकार की आपदाओं के प्रति सुरक्षित मानव आवास सुनिश्चित करने संबंधी कार्य योजनाओं की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की जाएगी। संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र शहरी निकास प्रणालियों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दें जिसमें प्राकृतिक निकास प्रणाली के अबाधित रूप से बहने पर विशेष ध्यान

दिया जाए। शहरी जोखिमों के प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डी एस एस) के विकास हेतु स्थानिक संकल्प की अवसंरचना का शहरी मानचित्रण शुरू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण अवसंरचना

5.1.5 यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि बांध, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, रेल की लाइनों, बिजली घरों, जल भण्डारण टावरों, सिंचाई नहरों, डेल्टा जल वितरक तंत्र, नदी तथा तटीय तटबंधों, पत्तनों तथा अन्य नागरिक जनोपयोगी सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को विश्वव्यापी सुरक्षा निर्देश चिह्नों के अनुरूप सुरक्षा मानकों के लिए निरन्तर मॉनीटर किया जाता है तथा जहां कमी है, सुदृढ़ किया जाता है। इन अवसंरचनाओं के भवन-निर्माण संबंधी मानकों को सुरक्षा मानदण्डों में शामिल किए जाने की जरूरत है तथा संबंधित विभाग/प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई तथा उपाय सुनिश्चित करेंगे।

पर्यावरणिक रूप से सतत विकास

5.1.6 सततता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संबंधी संरक्षण और विकास संबंधी प्रयास दोनों साथ-साथ चलाए जाने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन योजनाओं में जहां कहीं आवश्यक हो वहां हिमालय के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन कायम करने और तटीय आश्रय पट्टी पर पौधारोपण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी संतुलन और स्थायी विकास को बनाए रखने के लिए वनों, द्वीपसमूहों, तटवर्ती क्षेत्रों, नदियों, कृषि, शहरी पर्यावरण और औद्योगिक पर्यावरण पर पारिस्थितिकी प्रणालियों पर भी गौर करना होगा। क्षेत्रीय विनियमन में प्राकृतिक निवासों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन

5.1.7 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे हिमनदीय संचय, जल संतुलन, कृषि, वानिकी, तटीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता तथा मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जलवायु में परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में चक्रवात, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक

आपदाओं की बारम्बारता और प्रबलता में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। एक सतत् एवं प्रभावी तरीके से इन चुनौतियों से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी हमारे दृष्टिकोण और रणनीतियों में सहक्रियाओं को प्रोत्साहित एवं संवर्धित किया जाएगा।

तैयारी

केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों की भूमिका

5.2.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे अपनी निजी आपदा प्रबंधन क्षमताओं के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सभी स्तरों पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशा-निर्देशों तथा उपबंधों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी। जहां राष्ट्रीय योजना एन इ सी द्वारा तैयार की जाएगी, वहीं आपदा तथा क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार की जाएंगी। राज्य तथा जिला योजनाएं, एन डी एम ए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी विशिष्ट आपदा संबंधी सुभेद्यताओं के लिए तैयार की जाएंगी। विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के उन क्षेत्रों में नया संस्थागत तंत्र बनाना होगा जहां अपेक्षित क्षमताओं के निर्माण के लिए कोई भी मौजूदा एजेंसी कार्य नहीं कर रही है।

5.2.2 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और जिलों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में आयोजना प्रक्रिया में समेकन हेतु सभी पणधारियों की जानकारी शामिल की जाएगी। सभी पणधारियों, समुदायों और संस्थानों की भागीदारी से तैयारी की संस्कृति विकसित होगी। इन योजनाओं की बेहतर समझ और प्रचालन के लिए एक उर्ध्वगामी दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।

5.2.3 आपदा प्रबंधन के विषय को अन्तर-राज्यीय परिषद् तथा जोनल परिषद् के एजेन्डा में एक 'स्थायी मद' तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् में एक 'रिपोर्टिंग मद' के रूप में शामिल किया जाएगा।

पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियां

5.2.4 सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किए जाने, उन्नयन किए जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अन्तरों की पहचान करेंगी तथा उनके उन्नयन के लिए परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समय-बद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके। मौसम-विज्ञान संबंधी प्रेक्षण प्रणालियों के उन्नयन/स्थापना के लिए सभी राज्य भारत मौसम-विज्ञान विभाग को अपेक्षित अवसंरचना मुहैया कराएं। विश्व मौसम-विज्ञान संगठन (डब्ल्यू एम ओ), पेसिफिक सुनामी चेतावनी प्रणाली तथा अन्य क्षेत्रीय एवं ग्लोबल संस्थाओं के साथ भागीदारी पर भी विचार किया जाए। आंकड़ों को प्राप्त करने, पूर्वानुमान और समय पर प्रसार के लिए आई सी टी साधनों को प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सहायता

5.2.5 आपदा प्रबंधन हेतु मूलभूत संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता आवश्यकताएं निम्नलिखित तीन स्तरों के अनुकूल होनी चाहिए:

- यह सभी स्तरों पर निर्णयकर्त्ताओं तथा आपदा प्रबंधकों के अनुकूल होनी चाहिए ।
- विभिन्न स्तरों पर संबंधित प्राधिकारियों एवं संकटग्रस्त समुदाय को दी जाने वाली सूचनाओं तथा अग्रिम चेतावनियों का वास्तविक समय पर प्रचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिम चेतावनियों एवं सूचना के प्रसार के लिए प्रसारण माध्यमों जैसे-दूरदर्शन एवं रेडियो का उपयोग प्रमुखता से किया जाएगा क्योंकि इनकी उच्च भौगोलीय पहुँच होती है। तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग के नेटवर्क का उपयोग किया जाना चाहिए।
- नियंत्रण एवं बचाव तथा राहत कार्यों के संचालन हेतु आपदा स्थल पर अंतिम मील तक संयोजकता होनी चाहिए।

5.2.6 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करते हुए संप्रेषण एवं अद्यतन सूचना का आदान-प्रदान आपदा प्रबंधन रणनीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र से अथवा प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त भू-आकाशी सूचनाओं का

विश्वसनीय, अद्यतन एवं तीव्रतर आदान-प्रदान एक पूर्व-अपेक्षा है। पंचायती राज संस्थाओं अथवा शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त डाटा समूहों के शीघ्र उन्नयन एवं अद्यतन हेतु अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं, वास्तुशिल्प तथा कौशलों को सम्मिलित कर सूचना प्रौद्योगिकी की ढांचागत सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अत्यधिक सह-क्रियावादी समरुपण तथा यथेष्ट प्रचुरता के साथ समकालिक अंतरिक्ष एवं स्थल आधारित प्रौद्यागिकियों को शामिल करके एक राष्ट्रीय आकस्मिक सम्प्रेषण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। यह नेटवर्क प्रभावित समुदाय तथा स्थानीय प्राधिकारियों तक चेतावनियों एवं सूचनाओं को पहुंचाने का वास्तविक समय प्रसार सुनिश्चित करेगा।

आकस्मिक प्रचालन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

5.2.7 राष्ट्रीय, राज्य, महानगरों एवं जिला स्तर पर आकस्मिक प्रचालन केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें समकालिक प्रौद्योगिकियों एवं संप्रेषण सुविधाओं से लैस करने तथा उनके आवधिक उन्नयन को प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम मील संयोजकता तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रचालनों के नियंत्रण हेतु सुवाह्य प्लेटफार्मों की उपलब्धता का प्रबंध किया जाएगा। हेम रेडियो का एकीकरण एवं ऐसी ही अन्य अभिनव सुविधाएं, आपदा प्रबंधन संप्रेषण प्रणाली में लाभदायक सिद्ध होंगी।

चिकित्सा संबंधी तैयारी तथा व्यापक हताहत प्रबंधन

5.2.8 चिकित्सा संबंधी तैयारी आपदा प्रबंधन योजना के लिए एक निर्णायक घटक है। एन.डी.एम.ए., आपात चिकित्सा कार्रवाई तथा व्यापक हताहत प्रबंधन में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों एवं अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के साथ निकट समन्वय करके नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करेगा। अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजनाओं में चिकित्सा दलों एवं पराचिकित्सीयों का विकास एवं प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ट्राउमा एवं मनो-सामाजिक देखभाल, व्यापक हताहत प्रबंधन एवं रोगियों का यथावश्यक क्रमांकन शामिल होगा। आपदाओं के समय, सभी अस्पतालों में उमड़ती भीड़ एवं हताहतों को संभालने की क्षमता, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आपदा-

पूर्व दौर में, एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित एवं अभिलेखित की जाएगी। राज्य तथा जिला प्राधिकारियों को आपदाओं के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के उपचार हेतु समुचित क्रिया पद्धति निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये योजनाएं पश्च-आपदा रोग निगरानी प्रणालियों, अस्पतालों, प्रेषणीय संस्थानों से संपर्क तथा एम्बुलेंस एवं रक्त बैंकों की उपलब्धता जैसी सेवाओं एवं सुविधाओं तक पहुँच बनाने का समाधान निकालेंगी।

5.2.9 मोबाइल शल्यक दलों, मोबाइल अस्पतालों का सृजन तथा रोगियों को ले जाने के लिए हेली-एम्बुलेंस का प्रबंध आपदा प्रबंधन प्रयासों का महत्वपूर्ण घटक है। रेलवे से परामर्श करके प्रत्येक 100 कि.मी. पर स्टेशनों पर खड़ी रेलवे मंत्रालय की दुर्घटना राहत चिकित्सा वैनों (ए.आर.एम.वी.) का राज्य एवं जिला प्राधिकारियों द्वारा आकस्मिक चिकित्सा कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाएगा। स्तर-IV की अतिरिक्त जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाओं के सृजन का समाधान नोडल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। पर्याप्त शवगृह सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। शवों तथा जानवरों के मृत ढांचों के समुचित एवं त्वरित निपटान पर उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण, अनुकरण एवं नकली अभ्यास

5.2.10 योजनाओं तथा मानक प्रचालनीय कार्यप्रणालियों (एस.ओ.पी.) की प्रभावोत्पादकता का परीक्षण किया जाता है तथा इन्हें प्रशिक्षण, सेमिनार एवं नकली अभ्यासों के माध्यम से परिशोधित किया जाता है। एन.डी.एम.ए. इन क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करेगा तथा देश के विभिन्न भागों में नकली अभ्यास भी संचालित करेगा। राज्य तथा जिला प्राधिकारियों को पूर्व तैयारी तथा त्वरित कार्रवाई की संस्कृति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न पणधारकों के कार्रवाई स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकारों को धीरे-धीरे एन.डी.एम.ए. के सहयोग से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए अभ्यासों की श्रृंखला की योजना बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रशमन एवं तैयारी हेतु साझेदारी

समुदाय आधारित आपदा तैयारी

5.3.1 किसी आपदा के दौरान, समुदाय न केवल सबसे पहले प्रभावित होते हैं, अपितु प्राथमिक प्रतिक्रियाकारी भी होते हैं। सामुदायिक भागीदारी स्थानीय स्वामित्व को सुनिश्चित करती है, स्थानीय जरूरतों का समाधान खोजती है तथा नुकसान को रोकने तथा कमतर करने में स्वयं सेवा प्रवृत्ति एवं आपसी मदद की भावना को विकसित करती है। इसलिए इस बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

5.3.2 वयोवृद्ध, महिलाओं, बच्चों तथा भिन्न-भिन्न रूप में सहायता प्राप्त व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। महिलाओं तथा युवकों को आपदाओं के प्रबंधन हेतु निर्णयकारी समितियों और कार्रवाई समूहों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी आपदा के प्रथम प्रतिक्रयाकारियों के रूप में समितियों को कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं जैसे-प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव, सामुदायिक आश्रय स्थलों का प्रबंधन, मनो-सामाजिक सलाह तथा सरकार/एजेंसियों आदि से दी जाने वाली राहत एवं प्राप्ति सहायता के वितरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। सामुदायिक योजनाओं को पंचायत, ब्लॉक तथा जिला योजनाओं में समायोजित किया जाएगा।

पणधारकों की भागीदारी

5.3.3 नागरिक समिति पणधारकों की भागीदारी को एस.डी.एम.ए. एवं डी.डी.एम.ए. द्वारा समन्वित किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा, एन.सी.सी., एन.वाई.के.एस., एन.एस.एस तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को समुदाय को सशक्त बनाने तथा अपने-अपने सांस्थानिक रचनातंत्र के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा दिया जाएगा।

नैगम सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

5.3.4 ऐतिहासिक रूप से, निगम क्षेत्र आपदा राहत एवं पनुर्वास कार्यकलापों में सहायता करते रहे हैं। तथापि, आपदा जोखिम-न्यूनीकरण गतिविधियों में निगम हस्तियों की सहभागिता उल्लेखनीय नहीं है। निगम हस्तियों को खतरों, जोखिमों एवं संवेदनशील स्थितियों में योगदान करने के लिए अपनी व्यापारी समुदाय योजना पर पुनः विचार करना

चाहिए। उन्हें समुदाय में अभिनव सामाजिक निवेशों में मूल्य भी सृजित करना चाहिए। आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की ताकतों को शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में निगम हस्तियों की भूमिका को मजबूत तथा निश्चित करने के लिए एन.डी.एम.ए. एवं एस.डी.एम.ए. को निगम हस्तियों के साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता है।

मीडिया भागीदारी

5.3.5 आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरूकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

6. तकनीकी विधिक व्यवस्था

तकनीकी विधिक व्यवस्था

6.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर सांस्थानिक तथा समन्वय कार्यपद्धति का निर्धारण करता है। संशोधनों का प्राधिकार देने वाले संगत अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों की पहचान किए जाने तथा केन्द्र, राज्य एवं अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ समरूपता लाने की आवश्यकता है।

नगर विनियमों की पुनरीक्षा

6.2.1 निर्माण में तेजी तथा द्रुतगति से हो रहे शहरीकरण के दृष्टिगत नगर विनियमों जैसे विकास नियन्त्रण विनियमों, भवन उप-नियमों तथा अवसंरचनात्मक सुरक्षा विशेषताओं के संशोधित करने की आवश्यकता है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा अन्य आपदाओं से संबंधित सुरक्षा खामियों की पहचान हेतु इन विनियमों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की संशोधित भवन संहिताओं के अनुरूप बनाने के लिए इनमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाएंगे। आपदाओं के दौरान सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली अवांछनीय प्रथाओं, जो समय-समय पर प्रवृत्त होती हैं, को इन विनियमों के द्वारा हल किए जाने की जरूरत है। निर्माण कार्य हेतु अनुपयुक्त क्षेत्रों का आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त किए बिना उपयोग पुनः भेद्यता में वृद्धि करता है, जिसे प्रक्रिया तंत्र के समुचित अनुपालन के द्वारा सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विनियमों के लागू किए जाने पर जोर दिया जाएगा। जहां आवश्यक हो, वहां स्थानीय निकायों को समुचित विनियमों को तैयार करने के लिए उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी स्तरों पर सरकारी संगठनों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा बड़े पैमाने पर समुदाय से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए इनको समुचित ढ़ग से सुग्राही बनाने सहित समग्र अन्तर्निहित प्रयास शामिल होंगे।

भूमि उपयोग योजना

6.3.1 भिन्न–भिन्न भौगोलीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय मंत्रालय एवं संबंधित विभाग वैज्ञानिक संस्थानों से परामर्श करके एक सच्चे दृष्टिकोण के साथ पर्यावरणीय एवं खतरा आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। यह आवास की अधिक सुरक्षित अवस्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए महानगरों, मेट्रो एवं अत्यधिक घनी आबादी वाली शहरी व्यवस्थाओं के प्रति अधिक संगत है। मास्टर प्लानों तथा इनके अनुपालन की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा आवश्यक होगी तथा इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोपरि जिम्मेदारी के रूप में माना जाएगा। मैक्रो स्तर पर, विभिन्न प्रकार के उपयोगों के इन्वेंट्री डाटाबेस पर आधारित एक भूमि उपयोग योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जहां तक शहरी बन्दोबस्त का प्रश्न है तो भावी भूमि उपयोग का मूल्यांकन विकास की प्रत्याशित तीव्रता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

सुरक्षित निर्माण रीतियां

6.4.1 भूकम्पों एवं चक्रवातों जैसे खतरों से लोग नहीं मरते हैं बल्कि अपर्याप्त ढंग से अभिकल्पित एवं गलत तरीके से निर्मित इमारतों के कारण लोग हताहत होते हैं। भूकम्प दिशानिर्देशों में यथा उल्लेख नई इमारतों का सुरक्षित निर्माण तथा चुनिंदा लाइफलाइन इमारतों की पश्च-जुड़नारें सुनिश्चित करना, भूकम्प प्रशमन की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) तथा अन्य सरकारी कल्याण एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे आवासों के डिजाइन एवं विनिर्देशों की भी पुनः जांच की जाएगी। भवन संहिताओं को प्रत्येक पाँच वर्षों में एक अनिवार्य अपेक्षा के रूप में अद्यतन किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यस्थल में रखा भी जाएगा। सभी राज्यों/नगर भवन उप नियमों में राष्ट्रीय भवन संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अभियंताओं, वास्तुकारों, छोटे भवन निर्माताओं, निर्माण प्रबंधकों एवं प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पहले ही आरंभ कर दिया गया है तथा इसे राज्य एवं जिला स्तर पर घनीभूत किए जाने की आवश्यकता है। अन्य महत्वपूर्ण लाइफ लाइन इमारतों के अलावा सुरक्षित विद्यालय एवं अस्पताल (विशाल क्षमता वाले) तथा राष्ट्रीय स्मारकों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा। केन्द्र द्वारा प्रायोजित समस्त योजनाओं में तथा भूकम्प सह विशेषताओं वाले विद्यालय भवनों/छात्रावासों के नक्शे तैयार करने में एवं इन्हें सुरक्षा उपकरणों से लैस करने में सशक्त प्रावधान किया जाएगा।

अनुपालन व्यवस्था

6.5.1 तकनीकी-विधिक तथा तकनीकी वित्तीय प्रावधानों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, बाध्यकारी नतीजों सहित एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था को यथा स्थान रखने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर मॉनीटरिंग, सत्यापन तथा अनुपालन व्यवस्थाएं यथा स्थान हों। सभी संबंधित पणधारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे इन प्रावधानों को क्रियान्वित करें। स्व-प्रमाणन, सामाजिक लेखा जांच तथा व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा लेखा जांच सहित एक बाह्य अनुपालन व्यवस्था जैसी उत्तम प्रबंधन रीतियों को अपनाने हेतु इन्हें औजारों के विकास एवं अभिकल्प जैसे कि भारत में आपदा प्रबंधन पद्धतियों से मेल खाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम मॉनीटरिंग साफ्टवेयर के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें समुचित परीक्षण एवं वैधीकरण के बाद अपनाने के लिए विभिन्न पणधारियों तथा विद्या संस्थानों से परामर्श किया जाए।

प्रवर्त्तन

6.6.1 तकनीकी-विधिक तथा अनुपालन पद्धति को यथा स्थान प्रतिष्ठित करने के उपरांत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावकारी कार्यपद्धति की स्थापना द्वारा इनका प्रवर्त्तन सुनिश्चित करेंगें।

7. प्रतिक्रिया

दृष्टिकोण

7.1.1 शीघ्र एवं प्रभावकारी प्रतिक्रिया जन एवं संपत्ति हानि को कम करती है। अति संवेदनशील वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के लिए देखभाल वाला दृष्टिकोण अपनाना भी महत्वपूर्ण है। किसी आपदा से निपटने में विद्यमान एवं नए संस्थागत प्रबंधों को एकीकृत, सहयोगी एवं क्रियाशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह सब समसामायिक भविष्यवाणी एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियों, बाधा-सुरक्षित संचार तथा विशेषीकृत कार्रवाई बलों की प्रत्याशित तैनाती द्वारा संभव है। एक बहुश्रुत एवं तत्पर समुदाय, आपदाओं के असर को कम कर सकता है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन.ई.सी.) की भूमिका

7.2.1 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, किसी जोखिम वाली आपदा स्थिति अथवा आपदा होने पर कार्रवाई में समन्वय करेगी। जबकि आपदा विशिष्ट मार्ग निर्देश एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा राज्य प्राधिकारियों को किसी विशिष्ट जोखिम वाली आपदा स्थिति अथवा आपदा की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दिशानिर्देश दे सकती है।

नोडल तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिका

7.3.1 विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संबंधित नोडल मंत्रालय विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार करेगा जिसे राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति किसी जोखिम आपदा स्थिति अथवा आपदा होने पर कार्रवाई में समन्वय कर सकती है।

राज्य, जिला एवं स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका

7.4.1 राज्य सरकारों/एस.डी.एम.ए. की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे किसी उभरती स्थिति को मानीटर करें और उसका आकलन करें तथा इसके बारे में एन.डी.एम.ए.

तथा एन.ई.सी. को सूचित करते रहें। उनका यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे स्थिति से निपटने के लिए अपनी निजी क्षमताओं का लगातार मूल्यांकन करें तथा केन्द्रीय संसाधनों हेतु प्रत्याशित अपेक्षाओं को सही समय पर प्रक्षेपित करें। अन्तर-राज्य सहायता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी निजी कार्रवाई क्षमता को उत्तरोत्तर विकसित करें तथा इस प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कर लें। इसमें राज्य कार्रवाई बलों का प्रशिक्षण एवं साज सज्जा, समुदाय तैयारी, जिला स्तर पर लोगों में कार्रवाई के लिए उत्सुकता पैदा करना तथा इन लोगों को प्रशिक्षित करना शामिल होगा। जिला स्तर की तैयारियां समस्त कार्रवाई गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करेंगी। स्थानीय प्राधिकारी, पंचायती राज संस्थाएं (पी.आर.आई.) तथा शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) इस पूरी प्रक्रिया में, विशेषकर कार्रवाई एवं बचाव कार्यों, राहत एवं पुनर्वास, जागरूकता पैदा करने तथा आपदा तैयारी, जीविका विकल्पों को पुन:स्थापित करने तथा गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेंगी।

मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियां (एस.ओ.पी.)

7.5.1 सभी केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, जिला प्राधिकारी तथा अन्य पणधारी राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं से सामंजस्य बनाते हुए मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियां तैयार करेंगे। एस.ओ.पी. खोज एवं बचाव, चिकित्सा सहायता और हताहत प्रबंधन, लोगों को यथा-स्थान ले जाने तथा आपदा स्थल पर आवश्यक सेवाओं तथा संचार आदि की पुनः स्थापना जैसी गतिविधियों के लिए निर्धारित की जाएंगी। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भोजन, पीने का पानी, सफाई, वस्त्र तथा राहत शिविरों का प्रबंधन शामिल हैं। सभी संबंधितों द्वारा केन्द्रीय संसाधनों के निर्गम, प्राप्ति तथा तैनाती हेतु भी विस्तृत एस ओ पी का आविष्कार किया जाएगा।

आपदाओं का स्तर

7.6.1 गृह मंत्रालय द्वारा आपदाओं के स्तर निर्धारित करने के लिए तथा आपदाओं के बारे में विभिन्न एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक संसूचन प्रणालियों को चौकसी सूचनाएं जारी करने के लिए मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियां (एस.ओ.पी.) निर्मित की गईं हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के मामले में आपदा कार्रवाई प्रबंधन के लिए इन एस.ओ.पी. की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

घटना नियंत्रण प्रणाली (आई.सी.एस.)

7.7.1 प्रशासनिक अनुक्रम में एक परंपरागत नियंत्रण ढांचा मौजूद है जो भारत में आपदाओं का प्रबंध करता है। उपयुक्त संशोधनों सहित आई.सी.एस. के सिद्धान्तों को रेखांकित करके इसे मजबूत तथा व्यावसायिक बनाने की योजना बनायी गई है। किसी आपदा पर कार्रवाई करते समय विभिन्न आकास्मिक कार्यों को एक मानकीकृत ढंग से संगठित करने हेतु आई.सी.एस. सही मायने में एक प्रबंधन प्रणाली है। यह घटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे-संभारिकी, प्रचालन, योजना, सुरक्षा एवं मीडिया प्रबंधन आदि में एक प्रशिक्षित घटना-कमांडर एवं अधिकारियों समेत विशेषण घटना प्रबंधन दल मुहैया कराएगा। इसका जिला स्तर के पदाधिकारियों को घटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देकर प्रत्येक जिले में ऐसे दलों को यथा स्थान प्रतिष्ठित करने का भी उद्देश्य है। प्रौद्योगिकियों एवं आयोजना की समसामयिक प्रणालियों के प्रयोग तथा सभी स्तरों पर संयुक्त प्रचालन कक्ष की संयोजकता सहित निष्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा।

प्रथम तथा अन्य मुख्य प्रतिक्रियाकारी /कार्रवाईकर्ता

7.8.1 आपदा कार्रवाई की प्रक्रिया की आधारशिला होने के कारण स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के नेतृत्व के तहत समुदाय की भूमिका एवं महत्व सर्वमान्य है। उनकी तत्काल सहायता के लिए पुलिस, राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.) अग्निशमन एवं चिकित्सा सेवाओं जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिक प्रतिक्रियाकारी हैं। आवश्यकता पड़ने पर एन.डी.आर.एफ. विशेषज्ञ कार्रवाई प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। गंभीर स्थितियों में, सभी

एन.डी.आर.एफ बटालियनों (प्रति बटालियन 18 टीमें) के संसाधनों को, जरूरत के आधार पर, संभावित अल्पतम समय में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में संकेन्द्रित किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा, होम गाड्र्स तथा युवा संगठन जैसे– एन.सी.सी., एन.एस.एस और एन.वाई.के.एस. आदि अन्य महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाकारी होगें। जरूरत के आधार पर सशस्त्र बलों की तैनाती भी आयोजित की जाएगी। एन.डी.आर.एफ. की स्थापना/गठनकर्त्ता सशस्त्र बलों की तैनाती को उत्तरोत्तर कम करेंगें। तथापि, सशस्त्र सेनाओं की तैनाती तभी की जाएगी जब स्थिति राज्य सरकार एवं एन.डी.आर.एफ. की मुकाबला करने की क्षमता के बाहर हो।

चिकित्सा कार्रवाई

7.9.1 चिकित्सा कार्रवाई फुर्तीली और प्रभावकारी होगी। अधिकांश स्थितियों में राज्य एवं जिला स्तर पर चिकित्सा कार्रवाई योजनाओं का निष्पादन एवं चिकित्सा संसाधनों की तैनाती विशेष ध्यानाकर्षण की मांग करती हैं। प्रशासनिक सीमाओं पर ध्यान दिए बिना, आपदा स्थल पर सबसे नजदीकी चिकित्सा संसाधनों की स्वैच्छिक तैनाती पर ज़ोर दिया जाएगा। केन्द्र के पास उपलब्ध सचल चिकित्सा अस्पताल तथा अन्य संसाधन भी राज्यों/संघ राज्य केन्द्रों को सक्रियात्मक ढंग से मुहैया कराए जाएंगे। महामारियों के प्रकोप की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, सफाई तथा स्वास्थ्य सेवाओं का पश्च-आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी किसी भी संभवनाओं की लगातार मानीटरिंग आवश्यक होगी।

पशु देखभाल

7.10.1 पालतू एवं जंगली पशु दोनों ही प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। यह आवश्यक है कि पशुओं के संरक्षण हेतु समुचित उपाय खोजे जाएं तथा जहां तक संभव हो, सामुदायिक प्रयासों के द्वारा आपदाओं के दौरान उनके आश्रय तथा चारे के साधन जुटाए जाएं। यहाँ यह नोट करना संगतपूर्ण है कि आपदाओं के दौरान कई एक समुदायों ने पशुओं के प्रति सहानुभूति दर्शायी है, तथा तैयारी योजनाओं में इन प्रयासों को औपचारिक रूप दिए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग जैसे कि पशुपालन एवं डेयरी विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा संबंधित राज्यों को सभी स्तरों पर ऐसे उपायों को तलाशना चाहिए।

सूचना तथा मीडिया भागीदारी

7.11.1 आपदा स्थितियों के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से सही-सही सूचना का प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा नियमित प्रेस ब्रीफिंग आवश्यक है। सभी स्तरों पर सूचना प्रबंधन एवं सही-सही रिपोर्टिंग में प्रशिक्षण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

8. राहत एवं पुनर्वास

दृष्टिकोण

8.1.1 राहत को मात्र आनुग्रहिक सहायता अथवा समय पर आकस्मिक राहत आपूर्ति के प्रावधान के रूप में ही नहीं परिकल्पित किया गया है। इसके विपरीत ऐसे राज्यों में आपदाग्रस्त लोगों के पुनर्वास तथा प्रभावित लोगों की सामाजिक सुरक्षा तथा रक्षा हेतु सहायता के सरलीकरण की अधिमेहराबी पद्धति के रूप में विचारित किया गया है। राहत शीघ्र, पर्याप्त तथा अनुमोदित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। राहत के न्यूनतम मानकों को पारिभाषित करते हुए मार्ग निर्देश एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए जाएंगें।

अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना

8.2.1 डी.डी.एम.ए., विशेषकर आवर्ती आपदा बहुल क्षेत्रों में अस्थाई शिविरों की स्थापना के लिए अवस्थलों की पहचान करेगा। आपदा-पूर्व दौर में आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की पहचान की जाएगी। राहत शिविरों की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों के प्रयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

8.2.2 अस्थाई शिविरों में पीने और नहाने के पानी, स्वच्छता तथा आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। जहाँ व्यावहारिक हो, वहां सामुदायिक रसोई के द्वारा भोजन का प्रावधान तथा विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी की पुनर्स्थापना के द्वारा शिक्षण के प्रावधान की संभावना को तलाशने के लिए आपदाग्रस्त परिवारों से विशेष टॉस्क फोर्सों की स्थापना की जाएगी। अपने-अपने डी.डी.एम.ए. के माध्यम से, एक समरूप मानवता शासन पद्धतियों के हिस्से के रूप में हकदारी-पत्र, लैमिनेट किए हुए पहचान पत्र आदि जैसी कुशल शासन प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

राहत आपूर्ति का प्रबंधन

8.3.1 राहत एवं आपूर्ति के द्रुतगामी प्रबंधन के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना राहत कार्यों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। राहत मदों, जिन्हें व्सवस्थित तरीके से पहुँचाने की जरूरत होती है, के प्रापण, पैकेजिंग, परिवहन, भण्डारण तथा वितरण को सुनिश्चित करने के

लिए एस.ओ.पी.को यथा स्थान प्रतिष्ठित किया जाएगा। राहत शिविरों के प्रबंधन हेतु प्रभावित समुदायों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आगे-पीछे कार्य करना चाहिए। नकद अथवा अन्य रूप में प्राप्त की गई दान सहायताओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रबंध हेतु दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे।

राहत के मानकों की समीक्षा

8.4.1 अधिकतम राज्यों में आपदा से प्रभावित समुदायों की समकालीन आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए राहत के विद्यमान मानकों की समीक्षा की जानी आवश्यक हैं। एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार राहत के प्रबंध हेतु मानदण्डों, मानकों तथा मापदण्डों को निर्धारित करने के लिए एस डी एम ए राहत कोड/नियमावलियों की समीक्षा करे तथा आपदा प्रबंधन कोड तैयार करे।

अस्थायी जीविका विकल्प तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

8.5.1 किसी भी महा-आपदा के घटित होने पर सामान्यतः प्रभावित समुदाय हेतु अस्थायी जीविका विकल्प पैदा करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है और राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने डी एम.योजना प्रक्रिया में इस पहलू को मान्यता दें। ऐसे किसी भी विकल्प में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पन्न की गई सम्पत्ति, आधारिक संरचना एवं सुख-सुविधाएं जोखिम रहित, स्थायी, भरण-पोषण योग्य तथा लागत दक्ष हों।

मध्यम आश्रय-गृहों की व्यवस्था

8.6.2 सर्वनाशी आपदाओं के मामलों में, जहां तीव्र मौसम अवस्थाएं जान-लेवा साबित हो सकती हैं अथवा जब आश्रय-गृहों में रहने की अवधि अधिक एवं अनिश्चित हो, वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित मध्यम आश्रय-गृहों के निर्माण की जिम्मेदारी हाथ में ली जाएगी जिससे कि प्रभावी लोगों के लिए संतुलित गुणवत्ता की जिंदगी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे आश्रय-गृहों की बनावट पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होगी। एस.डी.एम. हेतु यह वांछनीय होगा कि प्रशमता की अवधि के दौरान मध्यम

आश्रय-गृहों की रूपरेखा सुनियोजित कर लें जो लागत-प्रभावी तथा स्थानीय जरूरतों के साथ बहु उपयोगी क्षमता वाली हो।

अध्याय–9

9. पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली

दृष्टिकोण

9.1.1 पुनर्निर्माण प्रक्रिया के प्रति व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदला जा सके। 'पहले से बेहतर निर्माण' के लिए आपदा संवेदी विशिष्टताओं को शामिल करना मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए। इस चरण में सभी संबंधित व्यक्तियों से अत्यधिक धैर्य और अथक प्रयास किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस चरण की जरूरतों के प्रति प्रशासन, पणधारियों तथा समुदायों को ध्यान संकेन्द्रित रहने की आवश्यकता है क्योंकि समय के साथ-साथ इसकी अत्यावश्यकता समाप्त होने लगती है। उचित तकनीक का चुनाव तथा परियोजना के प्रभाव का आकलन किया जाना आवश्यक है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि विचाराधीन परियोजनाएं कहीं प्रभावित क्षेत्रों अथवा उनके पड़ोस के भौतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अथवा आर्थिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रही हैं। मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता और सदमे से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली के दौरान इसका कार्यान्वयन हो सके।

स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण

9.2.1 पुनर्निर्माण योजनाओं तथा मकानों की रूपरेखा बनाने में भागीदारी प्रक्रिया होने की आवश्यकता है जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, गैर-सरकारी संगठन और निगमित सेक्टर सम्मिलित हों। योजना बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हालांकि स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण एक प्राथमिकता वाला विकल्प है फिर भी गैर-सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट सेक्टर के योगदानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर तथा गुणवत्तापरक विनिर्देशनों के अनुसार होगा।

त्वरित पुनर्निर्माण

9.3.1 अनिवार्य सेवाओं, सामाजिक अवसंरचना तथा मध्यम आश्रय-स्थलों/शिविरों को कम-से-कम समय में स्थापित किया जाएगा। स्थायी पुनर्निर्माण के लिए मकानों के निर्माण सहित कार्य सामान्यत: दो से तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित परियोजना दलों को गठित करें।

9.3.2 सामान्य अवधि के दौरान अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न पणधारियों से परामर्श करके वास्तुशिल्प तथा ढांचागत डिजायन शामिल हो सकती है।

सामान्य स्थिति की बहाली के साथ सुरक्षित विकास को जोड़ना

9.4.1 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अवसंरचना तथा पिछड़े तथा अगड़े संपर्क-सूत्रों में आयी कमियों को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिए। जीवनयापन के साधनों, शिक्षा, चिकित्सा–सेवा की सुविधाओं, बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों आदि की देखभाल में सहायता करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्य दूसरे पहलुओं जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैं, वे हैं, सड़कें, आवास, पेयजल स्रोत, सफाई सुविधाओं के लिए प्रावधान, क्रेडिट की उपलब्धता, कृषि से जुड़ी जानकारी देना, खेत में तथा इससे बाहर की गतिविधियों में शामिल प्रौद्योगिकी का उन्नयन, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन आदि।

जीवनयापन को पुन: बहाल करना

9.5.1 राज्य सरकारों को चाहिए कि वे आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी जीवनयापन देने पर जोर दें तथा महिला मुखिया वाले घरों, शिल्पकारों, किसानों तथा हाशिए पर गए एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें।

10. क्षमता निर्माण

दृष्टिकोण

10.1.1 शामिल व्यक्तियों के सक्रिय तथा जोशपूर्ण भागीदारी से ही क्षमता विकास के प्रति एक रणनीति दृष्टिकोण प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास आदि सम्मिलित हैं। इससे आपदाओं के प्रभावी-निवारण तथा इसके प्रबंधन के लिए समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन व्यवस्थाओं तथा स्रोतों का आबंटन संभव होगा।

10.1.2 चूंकि इन पहलुओं में से कुछ पहलुओं की चर्चा अन्य अध्यायों में की गई है और इसलिए यह भाग, केवल जागरूकता, आपदा शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर प्रकाश डालता है। क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ☐ प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु-आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- ☐ राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।
- ☐ अपनी कुशलता सिद्ध कर चुके ज्ञान-आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।
- ☐ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- ☐ पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- ☐ टेबल-टॉप अभ्यासों, सिम्यूलेशन्स, मॉक-ड्रिलों तथा योजनाओं की जांच करने हेतु कौशल के विकास पर जोर देना।
- ☐ राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

10.2.1 क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा समुदायों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

10.2.2 डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा वास्तुकारों जैसे विशेषज्ञों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढ़ालने पर समुचित महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों सहित सभी स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में व्यवहारिक आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल बनाने सहित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के विस्तार पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

संस्थागत क्षमता निर्माण

10.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसूची के विकास तथा उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नोडल संस्थान भी होगा। विभिन्न राज्यों में अनेक प्रसिद्ध संस्थान हैं जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे प्रयासों का अनुकरण करेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के राज्य-स्तरीय संस्थानों, एनडीआरएफ के चार अर्ध सैनिक बल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में मौजूद आपदा प्रबंधन सैल आपदा प्रबंधन से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनज़र मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

समुदायों का प्रशिक्षण

10.4.1 समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरूकता, सुविज्ञ करना, अभि-विन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा तथा गैर-सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वं-सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा

अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

पेशेवर तकनीकी शिक्षा

10.5.1 वास्तुशिल्प, इंजीनियरी, पृथ्वी विज्ञान तथा चिकित्सा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी जिससे की प्रत्येक विशेषीकृत क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन से जुड़े तात्कालीन ज्ञान को शामिल किया जा सके। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी तथा छात्र स्काउट की भूमिका होगी। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में एक विशिष्ट शैक्षणिक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन के विकास को बढ़ावा देगा।

स्कूलों में आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा

10.6.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किया गया है जिसे अपने-अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के माध्यम से सभी स्कूलों में विस्तारित किया जाएगा। राज्य सरकार भी यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य स्कूल बोर्डों के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शामिल हो। शिक्षण सामग्री में कौशल आधारित प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक तथा नेतृत्व गुणों का समावेश होगा। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी और छात्र स्काउटों की भूमिका होगी। आपदा संबंधी शिक्षा का उद्देश्य स्कूल की आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ तैयारी तथा सुरक्षा का वातावरण विकसित करना होगा।

कारीगरों को प्रशिक्षण

10.7.1 कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना क्षमता संबंधी निर्माण प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है। केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु सतत कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। इस कार्यकलाप को

सक्रियता से चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। औद्योगिक संस्थानों (आई टी आई) तथा अन्य केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यान्वयन में मदद ली जाएगी। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी निर्माणकर्ताओं, ठेकेदारों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षित कारीगरों के उपयोग में अहम भूमिका निभाए जाने की आशा है।

अन्य समूहों का प्रशिक्षण

10.8.1 पैरामेडिक्स, समाज-सेवकों, प्लम्बरों, सैनिटरी फिटरों तथा सुरक्षा लेखा परीक्षकों जैसे अन्य विशेषज्ञ समूह भी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन समूहों को भी समुचित कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लाइसेंस देना तथा प्रमाणीकरण

10.9.1 निर्माण क्षेत्र में आपदा-रोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों के कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। बी आई एस से अनुरोध किया जाएगा कि वह विशेषज्ञ निकायों की मदद से समान कोड (यूनिफार्म कोड) तथा विनिर्देशनों को विकसित करे। राज्य सरकारें एक योजना विकसित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल समुचित रूप से अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ ही उसके भू-भाग में काम करें। राज्य सरकारें अपने जोखिम परिदृश्य के अनुरूप अपेक्षित मानकों को बनाए रखने के लिए स्वयं अपने पंजीकरण मानदंडों को लागू करेंगी।

11. ज्ञान प्रबंधन

दृष्टिकोण

11.1.1 ज्ञान प्रबंधन, सुविचारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक-केन्द्रित संस्थागत तथा पारिस्थितिकी पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित करेगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभवों तथा ज्ञान को बांटने के लिए ज्ञान संस्थानों का एक नेटवर्क सृजित किए जाने की आवश्यकता है। जबकि विशेषीकृत क्षेत्रों में ज्ञान सृजन का कार्य सामान्यतः नोडल संस्थानों द्वारा किया जाएगा वहीं एनआईडीएम तथा उसी प्रकार के अन्य संस्थान अपने ग्राहक-वृंद विशेष रूप से अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में ज्ञान, आंकड़ा प्रबंधन तथा उसके प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहक्रियात्मक प्रयोग

11.2.1 सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित विभाग, एनडीएमए से परामर्श करके अनुसंधान से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं तथा विषय को चिह्नित करेंगे तथा क्षेत्र-विशिष्ट संस्थानों को उनकी विशेषज्ञता तथा ज्ञान के आधार पर उन्हें पदनामित भी करेंगे।

ज्ञान संस्थान

11.3.1 एनआईडीएम तथा अन्य संस्थान आपसी सामंजस्य से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों को एकजुट करेंगे। ये संस्थान, आपदा प्रबंधन में ज्ञान भण्डार का सृजन करेंगे तथा इस विषय में ज्ञान के आधार को बढ़ाने के प्रयास भी करेंगे।

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के जरिए ज्ञान का प्रचार-प्रसार

स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (आई टी के)

11.4.1 आदि काल से भारत के विभिन्न भागों में आपदाओं से निपटने के लिए जांची एवं परखी हुई पद्धतियों से मिले तकनीकी ज्ञान और अनुभव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की एक समृद्ध परंपरा रही है। इस अमूल्य धरोहर को सूचीबद्ध करने की, तत्कालीन प्रणालियों में इसके निष्कर्षों को आत्मसात करने तथा समुचित स्थानों तथा प्रभावित समुदायों को उनके आपदा प्रबंधन संबंधी प्रयासों को और अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से इसके नतीजों का प्रचार-प्रसार करने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन)

11.5.1 आई डी आर एन के मौजूदा ढांचे को विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न एजेंसियों के संसाधनों, क्षेत्रों तथा विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया जा सके। सरल तरीके से प्राप्ति, उपयोग तथा इसे ऑन-लाइन अद्यतन किए जाने के लिए संगत सूचना सार्वजनिक की जाएगी।

भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (आई डी के एन)

11.6.1 आपदा प्रबंधन पर ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु एक मंच होने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तथा विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों में आदान-प्रदान तथा वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क पोर्टल की स्थापना की गई है। यह पोर्टल, आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी के संग्रहण उसे व्यवस्थित करने तथा उसके प्रचार-प्रसार में एक साधन के रूप में कार्य करेगा। यह सभी सरकारी विभागों, विधिक एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों/संस्थानों तथा मानवतावादी संगठनों को अपना ज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञता को सामूहिक तथा निजी तौर पर बांटने के लिए आपस में जोड़ेगा।

सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा अनुसंधान का प्रलेखन

11.7.1 किसी भी आपदा के तत्काल बाद एक संस्थागत उपाय के रूप में विशेषज्ञों की सहायता से क्षेत्र अध्ययन किए जाएंगे। ये अध्ययन मौजूदा निवारक तथा प्रशमन उपायों पर

गौर करेंगे तथा तैयारी और कार्रवाई करने की स्थिति का आकलन भी करेंगे। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती आपदाओं से मिले अनुभवों को संकलित किया जाएगा तथा इनका प्रलेखन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सामान्य स्थिति की बहाली तथा पुनर्निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं का विश्लेषण भी किया जाएगा। एनआईडीएम, विशेषज्ञों की सहायता से तथा पेशेवर तरीके से कार्य अध्ययनों के विकास तथा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के प्रलेखन हेतु एक संदर्भ पुस्तक तैयार करेगा। इस ज्ञान का प्रचार-प्रसार देश के भीतर सभी संबंधित संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी किया जाएगा।

12. अनुसंधान एवं विकास

दृष्टिकोण

12.1.1 अब तक राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण ने अनुसंधान तथा विकास प्रयास को चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित कर रखा है। इन क्षेत्रों में भविष्य में होने वाले प्रयासों का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न आपदाओं के संबंध में व्यापक अनुसंधान की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा मांग आधारित अनुसंधान कार्यक्रमों को सशक्त करना है। इसमें क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

संस्थागत व्यवस्था

12.2.1 संपूर्ण आपदा प्रबंधन ढांचे को, उपयोगकर्ता की सुविधानुसार एक जोरदार तथा अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकल्प प्रदान करने वाले अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का एक मजबूत आधार दिए जाने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न समूहों तथा संस्थानों के बीच पारस्परिक सहयोग तथा सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक सक्रिय रणनीति तैयार की जाएगी। आपसी दृष्टिकोणों, सूचना तथा विशेषज्ञता की निधि बनाना तथा उनके आदान-प्रदान संबंधी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतिभा निधि समूहों के 'एकीकरण' की प्रक्रिया के माध्यम से अन्तर-विषयी संदर्भों की पहचान की जाएगी जिसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एक स्थायी तंत्र द्वारा सुकर बनाया जाएगा तथा इसकी देखरेख भी की जाएगी। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा कृषि विभाग, परमाणु उर्जा विभाग, पृथ्वी विज्ञान विभाग, पर्यावरण तथा वन विभाग, स्वास्थ्य, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा आई आई टी एवं एन आई टी एवं विश्वविद्यालयों आदि शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन संपर्क बनाए रखा जाएगा।

अनुसंधान की आवश्यकताओं की पहचान तथा उनका प्रोत्साहन

12.3.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की व्यापक अनुसंधान संबंधी जरूरतों की पहचान करने के लिए एनडीएमए द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों के एक कोर

दल का पहले ही गठन किया जा चुका है। यह अनुसंधान साझीदारों/एजेंसियों/समूहों की उनके ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आधार पर पहचान भी करेगा। भारत के विशिष्ट संदर्भ में जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ऊष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) पर जोर दिया जाएगा।

12.3.2 प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ तकनीकी तथा मानव-जनित आपदाओं सहित नवीनतम विषयों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन आपदाओं के लघु तथा दीर्धकालिक परिणामों का आकलन करने के लिए अनुकृति अध्ययनों के आधार पर माइक्रोजोनेशन तथा परिदृश्य विकास जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

13. आगे का रास्ता

13.1.1 इस नीति की घोषणा, नई यात्रा के पहले कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इस साधन के माध्यम से ऐसी आशा है कि ऐसे व्यापक दायरे का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न संस्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट कार्रवाइयां अपेक्षित होंगी। गन्तव्य का निर्धारण दिया है और आशा के साथ दिशा भी दिखाया गया है। माहौल तैयार कर दिया गया है और अब रोडमैप तैयार किए जाने हैं।

13.1.2 इस दस्तावेज़ का प्रयास, राजनैतिक निकाय द्वारा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से जोरदार समर्थकारी वातावरण, जिसने पूर्व में जान-माल और संपत्तियों को काफी नुक्सान पहुंचा चुकी तथा समुदायों के आर्थिक आधार को पंगु बना चुकी आपदाओं से निपटने में एक नए आधार का सूत्रपात किया है, के सार को ग्रहण करना है। यह इस तथ्य को भी निरूपित करता है कि आपदाएं न केवल आर्थिक और विकासात्मक वृद्धि को आघात पहुंचाती हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

13.1.3 इस धारणा की मुख्य बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में संघटक के रूप में कार्य कर रहे नवसृजित आपदा प्रबंधन ढांचे द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत आपदा संवेदी तथा प्रतिरोधी समुदाय, राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।

13.1.4 यह राष्ट्रीय नेतृत्व की उस दृढ़ धारणा की भी अभिव्यक्ति है कि वर्ष-दर-वर्ष आपदा के पश्चात निरर्थक व्यय किए जाने के बजाय निवारण, तैयारी तथा प्रशमन के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित की जाए।

13.1.5 यदि जिन हाथों को इस कार्य को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है वे यह पाते हैं कि उन्हें इससे अपेक्षित बल तथा दिशा मिल रही है तो इस नीति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

संक्षिप्ति

एआरएमवी	-	दुर्घटना सहायता चिकित्सा वैन
बीआईएस	-	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीओ	-	समुदाय आधारित संगठन
सीबीआरएन	-	रासायनिक, जैविक, विकिरण तथा नाभिकीय
सीसीएमएनसी	-	प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीसीएस	-	सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएसआर	-	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
सीआरएफ	-	आपदा राहत कोष
डीडीएमए	-	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएम	-	आपदा प्रबंधन
जीआईएस	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	-	भारत सरकार
जीपीएस	-	वैश्विक स्थितिपरक प्रणाली
एचएलसी	-	उच्च स्तरीय समिति
एचपीसी	-	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आईएवाई	-	इंदिरा आवास योजना
आईसीएस	-	घटना कमान प्रणाली

आईसीटी	-	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआरएन	-	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क
आईडीकेएन	–	भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क
आईआईटी	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएमसी	-	अन्तर-मंत्रालय समिति
आईएमजी	-	अन्तर-मंत्रालय दल
आईटी	-	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई	-	औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान
आईटीके	-	स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
एमएचए	-	गृह मंत्रालय
एनबीसी	-	नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक
एनसीसी	-	राष्ट्रीय कैटेड कार्प्स
एनसीसीएफ	-	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष
एनसीएमसी	-	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एनडीईएम	-	राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस
एनडीएमए	-	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमआरसी	-	राष्ट्रीय आपदा प्रशमन संसाधन केन्द्र
एनडीआरएफ	-	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एनईसी	-	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
एनजीओ	-	गैर-सरकारी संगठन

एनआईडीएम	-	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईटी	-	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसडीआई	-	राष्ट्रीय स्थानिक डाटा अवसंरचना
एनएसएस	-	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस	-	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
पीपीपी	-	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	-	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	-	अनुसंधान एवं विकास
एसएएआरसी	-	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एसडीएमए	-	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीआरएफ	-	राज्य आपदा कार्रवाई बल
एसईसी	-	राज्य कार्यकारी समिति
एसओपी	-	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
यूएलबी	-	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	-	संयुक्त राष्ट्र
यूटी	-	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यूएमओ	–	विश्व मौसम विज्ञान संगठन